१२. साम्राज्य की प्रगति

अब तक हमने मराठी सत्ता के उदय और विस्तार का अध्ययन किया । हमने यह भी देखा कि स्वराज्य की स्थापना से लेकर साम्राज्य विस्तार तक की यात्रा किस प्रकार पूर्ण हुई । उत्तर भारत में मराठों का जो साम्राज्य विस्तार हुआ; उसमें जिन सरदार घरानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया; उनकी संक्षिप्त जानकारी हम इस पाठ में लेंगे ।

इंदौर के होळकर : मल्हारराव इंदौर की होळकर सत्ता के प्रवर्तक थे । उन्होंने दीर्घकाल तक मराठी राज्य की सेवा की । वे गुरिल्ला युद्ध प्रणाली में निष्णात थे । बाजीराव प्रथम और नानासाहब के शासनकाल में उन्होंने उत्तर में पराक्रम दिखाया । मालवा और राजपूताना में मराठों का वर्चस्व स्थापित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा । पानीपत युद्ध के बाद उत्तर में मराठों की गिरती प्रतिष्ठा को सँवारने में माधवराव पेशवा को उनका बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त हुआ ।

मल्हारराव होळकर

पुण्यश्लोक अहिल्याबाई मल्हारराव का बेटा खंडेराव की पत्नी थीं । कुंभेरी के युद्ध में खंडेराव की मृत्यु हुई । कालांतर में मल्हारराव का भी निधन हो गया । उसके पश्चात इंदौर के प्रशासन की बागडोर अहिल्याबाई के हाथ में आई । वह महान कूटनीतिक और उत्तम प्रशासक थीं । उन्होंने नए कानून बनाकर भू-राजस्व, कर की वसूली जैसी बातों को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया । बंजर भूमि को बोआई के लिए उपयोग में लाना, किसानों के लिए कुएँ खुदवाना, व्यापार-उद्योग को प्रोत्साहन देना, ताल-तालाबों का निर्माण करवाना आदि कार्यों के लिए उन्होंने परिश्रम उठाए । भारत में चारों दिशाओं में स्थित महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों पर उन्होंने मंदिर, घाट, मठ, धर्मशालाएँ, प्याऊ का निर्माण करवाया । इस रूप में देश की सांस्कृतिक एकता का उनके द्‌वारा किया गया प्रयास महत्वपूर्ण था । वह स्वयं न्याय-फैसले करती थीं । वह महादानी और ग्रंथप्रेमी थीं । उन्होंने लगभग अट्‌ठाईस वर्ष सक्षमता से राज्य प्रशासन चलाया और उत्तर में मराठी सत्ता की छवि को उज्ज्वल बनाया । राज्य में शांति और सुव्यवस्था स्थापित कर प्रजा को सुखी बनाया । मराठाशाही के गिरते समय में यशवंतराव होळकर ने राज्य को बचाने का प्रयास किया ।

अहिल्याबाई होळकर

नागपुर के भोसले : नागपुर के भोसले घराने में परसोजी भोसले को शाहू महाराज के कार्यकाल में वऱ्हाड (बरार) और गोंडवाना प्रदेशों की सनद (आदेशपत्र) दी गई थी । नागपुर के जितने भोसले हुए; उनमें रघुजी सबमें पराक्रमी और कार्यकुशल पुरुष थे । वह दक्षिण के तिरुचिरापल्ली और अर्काट के आसपास के प्रदेश को मराठों के प्रभुत्व में ले आया । शाहू महाराज ने बंगाल, बिहार और ओडिशा प्रांतों की चौथ वसूली के अधिकार रघुजी को दिए थे । वह उन प्रदेशों को मराठों के आधिपत्य में ले आया । ई.स.१७५१ में नागपुर के भोसलों ने ओडिशा सूबा अली वरदी खान से जीत लिया।

रघुजी भोसले

कालांतर में ई.स.१८०३ तक ओडिशा पर मराठों का प्रभुत्व था।

क्या तुम जानते हो ?

मराठा डिच - कोलकाता के अंग्रेज नागपुर के भोसलों से बुरी तरह भयभीत थे । मराठों के संभावित आक्रमण से कोलकाता शहर को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने शहर के चारों ओर एक खंदक खुदवाई थी । यह खंदक मराठी डिच नाम से विख्यात हुई ।

ग्वालियर के शिंदे : बाजीराव प्रथम ने राणोजी शिंदे के शौर्य और पराक्रम को भाँप लिया था । अतः उसे उत्तर का सरदार नियुक्त किया । राणोजी की मृत्यु के पश्चात उनके बेटों - जयाप्पा, दत्ताजी और महादजी ने भी अपनी वीरता के बल पर उत्तर भारत में मराठी सत्ता को सामर्थ्यवान बनाया ।

महादजी शिंदे

माधवराव पेशवा ने शिंदे परिवार का सरदार पद महादजी को प्रदान किया । वह वीर और चतुर राजनीतिज्ञ था । पानीपत की पराजय के पश्चात उसने उत्तर भारत में मराठों के प्रभुत्व और प्रतिष्ठा को स्थापित करने का कार्य किया । वह भली-भाँति जानता था कि उत्तर भारत के समतल प्रदेश में मराठों की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली उपयोगी सिद्ध नहीं होगी। अतः उसने फ्रांसीसी सेना विशेषज्ञ डिबॉइन के मार्गदर्शन में अपनी सेना को प्रशिक्षित किया और तोपखाना सुसज्जित किया । इस प्रशिक्षित सेना के बल पर उसने रुहेले, जाट, राजपूत, बुंदेला आदि से आत्मसमर्पण करवाया ।

पानीपत के युद्ध के बाद मराठों की शक्ति क्षीण हो गई है; यह देखकर अंग्रेजों ने दिल्ली की राजनीति में प्रवेश करना प्रारंभ किया । उन्होंने बंगाल सूबे के दीवानी अधिकार अपने हाथ में ले लिए । वे दिल्ली के पातशाह को अपने नियंत्रण में कर लेना चाहते थे। इस विपरीत स्थिति में महादजी शिंदे ने अंग्रेजों को मात देकर दिल्ली के बादशाह को पुनः गद्दी पर बैठाया। इस कार्य पर प्रसन्न होकर दिल्ली पातशाह ने उसे 'वकील-ए-मुत्लक' उपाधि प्रदान की अर्थात दीवानी और सेना अधिकार का नियंत्रण उसे सौंपा । उसने उस उपाधि को बाल पेशवा सवाई माधवराव की ओर से स्वीकार किया । इस उपाधि के कारण दिल्ली पातशाही पूर्णतः मराठों के नियंत्रण में आ गई। लड़खड़ाती-ढहती मुगल सत्ता की अट्टालिका को संभालना सरल कार्य नहीं था । महादजी ने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति पर विजय पाकर बड़ी दृढ़ता से ई.स.१७८४ से १७९४ की अवधि में दिल्ली का प्रशासन चलाया ।

पानीपत युद्ध के लिए नजीब खान उत्तरदायी था। उसके उत्तराधिकारी अभी भी रुहेलखंड में षडयंत्र कर रहे थे । नजीब का पोता गुलाम कादिर ने लाल किला अपने अधिकार में कर लिया और धन के लिए बादशाह और बेगमों को यंत्रणाएँ दी । बादशाह की आँखें निकाली और राजकोष हड़प लिया । इस स्थिति में महादजी ने कादिर को पराजित किया । कादिर द्वारा हड़प की हुई संपत्ति लेकर बादशाह को लौटाई । बादशाह को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बिठाया । इस प्रकार महादजी ने पानीपत युद्ध के पश्चात मराठों की साख पुनः प्राप्त कराई । दिल्ली के पातशाह को मराठों के नियंत्रण में रखकर भारत की राजनीति चलाई।

पेशवाओं में चलने वाले गृहयुद्ध का परिणाम यह हुआ कि रघुनाथराव अंग्रेजों के आश्रय में चला गया था । अंग्रेजों की सहायता से पेशवा पद प्राप्त करना उसका उद्देश्य था और मराठी कूटनीतिज्ञों को यह स्वीकार न था । अतः मराठे और अंग्रेजों के बीच का संघर्ष अटल था लेकिन इससे इतना तो

स्पष्ट हो गया कि हिंदुस्तान पर शासन कौन करेगा; इसका अंतिम निर्णय मराठे और अंग्रेजों के बीच होने वाला था ।

अंग्रेज मुंबई से बोरघाट मार्ग द्‌वारा मराठों पर आक्रमण करने आए । महादजी शिंदे के नेतृत्व में मराठी सेना एकत्रित आई थी । मराठों ने गुरिल्ला युद्‌ध नीति का अवलंब कर अंग्रेजों को रसद प्राप्त नहीं होने दी । दोनों सेनाएँ वड़गाँव में (वर्तमान पुणे-मुंबई राजमार्ग पर) एक-दूसरे के आमने-सामने आईं। इस युद्‌ध में अंग्रेजों की पराजय हुई । परिणामस्वरूप अंग्रेजों के लिए आवश्यक हो गया कि वे रघुनाथराव को मराठों को सौंप दे ।

दिल्ली पर ई.स.१८०३ तक मराठों का नियंत्रण था । अंग्रेजों ने भारत पर विजय पाई परंतु मराठों से लड़कर; यदि यह ध्यान में आया तो महादजी के कार्यों का महत्त्व समझ में आता है । दिल्ली के प्रशासन को सुस्थिति में लाकर वे पुणे आए । पुणे के समीप वानवडी में उनकी मृत्यु हुई । वहीं उनकी स्मृति में छतरी बनाई गई है ।

शिंदे की छतरी, वानवडी-पुणे

शिंदे, होळकर और भोसले की भाँति अन्य कुछ प्रमुख सरदारों ने मराठी राज्य की उल्लेखनीय सेवा की ।

शिवाजी महाराज ने जिस नौसेना का निर्माण करवाया; उसे कान्होजी और तुळाजी आंग्रे पिता-पुत्र ने शक्तिशाली बनाया । इसी शक्तिशाली नौसेना के बल पर उन्होंने पुर्तगाली, अंग्रेज और सिद्‌दी जैसी नौसैनिकी सत्ताओं को अपने नियंत्रण में रखा और मराठी राज्य के तटक्षेत्र की रक्षा की ।

सेनापति खंडेराव दाभाडे और उसका बेटा त्रिंबकराव ने गुजरात में मराठी सत्ता की नींव रखी । खंडेराव की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी उमाबाई ने अहमदाबाद के मुगल सरदार को पराजित किया । वहाँ का किला जीत लिया । आगे चलकर गायकवाडों ने गुजरात के वड़ोदरा (बड़ौदा) को अपना सत्ता केंद्र बनाया । उत्तर में मराठी सत्ता का विस्तार करने में मध्य प्रदेश के धार और देवास के पवारों ने शिंदे और होळकर को बहुमूल्य योगदान दिया ।

सेनापति माधवराव पेशवा की मृत्यु के पश्चात

नाना फडणवीस

मराठी राज्यव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई । उसे नाना फडणवीस और महादजी शिंदे पटरी पर ले आए । जब महादजी उत्तर भारत में मराठों का वर्चस्व स्थापित करने में व्यस्त थे, उस समय नाना ने दक्षिण की राजनीति की बागडोर संभाली । इस कार्य में उसे पटवर्धन, हरिपंत फडके, रास्ते आदि सरदारों का सहयोग प्राप्त हुआ । फलस्वरूप दक्षिण में मराठी सत्ता का वर्चस्व स्थापित हुआ । इंदौर के होळकर, नागपुर के भोसले, ग्वालियर के शिंदे, वडोदरा के गायकवाड ने अपने पराक्रम, नेतृत्व, कार्य आदि गुणों के बल पर मराठी सत्ता को वैभवशाली बनाया । ये सभी मराठी सत्ता के अंतिम चरण के आधार स्तंभ थे ।

मराठी सत्ता का उत्तर और दक्षिण भारत में प्रभाव निर्माण करने में मराठे सरदार सफल हुए परंतु महादजी शिंदे और नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद

मराठी सत्ता का पतन प्रारंभ हुआ । इस कालखंड में रघुनाथराव का बेटा बाजीराव द्‌वितीय पेशवा था। उसमें नेतृत्व योग्यता का अभाव था । इसके विपरीत उसमें अनेक दोष थे । वह मराठा सरदारों में एकता निर्माण नहीं कर सका । मराठा सरदारों में आपसी फूट पैदा होने से मराठी सत्ता भीतर से खोखली होती गई। ऐसे अनेक कारणों से बाजीराव द्‌वितीय के कार्यकाल में मराठों का उत्तर और दक्षिण में प्रभाव क्षीण होता गया । मराठी सत्ता का स्थान अंग्रेजों ने ले लिया ।

ई.स.१८१७ में अंग्रेजों ने पुणे को अपने अधिकार में कर लिया और वहाँ अपना 'यूनियन जैक' ध्वज फहराया । ई.स. १८१८ में सोलापुर जिले के आष्टी नामक स्थान पर हुई लड़ाई में अंग्रेजों ने मराठों को पराजित किया। फलतः मराठी सत्ता समाप्त हो गई। यह घटना भारतीय इतिहास में बहुत बड़ी परिवर्तनकारी घटना सिद्‌ध हुई । इस घटना के पश्चात अंग्रेज लगभग संपूर्ण भारत को अपने आधिपत्य में ले आए। भारत का पश्चिमी विश्व के साथ संपर्क बढ़ा। इसके साथ-साथ भारतीय समाज व्यवस्था में कई परिवर्तन हुए। अनेक पुरानी बातें कालबाह्य हो गईं और हाशिये पर चली गईं । एक बहुत बड़ा बदलाव आया । भारतीय इतिहास का मध्यकाल समाप्त हुआ और आधुनिक कालखंड का प्रारंभ हुआ।

स्वाध्याय

१. एक शब्द में लिखो :

(१) इंदौर के राज्य प्रशासन की बागडोर संभालने वाली –

(२) नागपुर के भोसले घराने में सबसे पराक्रमी और कार्यक्षम पुरुष –

(३) दिल्ली की गद्‌दी पर बादशाह को बैठाने वाले –

(४) दक्षिण की राजनीति की बागडोर संभालनेवाले –

२. घटनाक्रम लिखो :

(१) आष्टी की लड़ाई (२) मराठों का ओडिशा पर प्रभुत्व (३) अंग्रेजों ने पुणे पर यूनियन जैक फहराया।

३. लेखन करो :

(१) अहिल्याबाई होलकर द्‌वारा किए गए कार्य ।

(२) महादजी शिंदे का पराक्रम ।

(३) गुजरात में मराठी सत्ता ।

४. मराठी सत्ता समाप्त होने के कारण : विचार-विमर्श करो ।

उपक्रम

मराठी सत्ता के विस्तार में अपना योगदान देनेवाले घरानों की जानकारी का सचित्र संग्रह बनाओ । विद्‌यालय में उसकी प्रदर्शनी लगाओ ।

शनिवारवाडा, पुणे

१३. महाराष्ट्र का सामाजिक जीवन

छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित हिंदवी स्वराज्य प्रजा का राज्य था । प्रजा का कल्याण हो, लोगों पर अत्याचार न हो, महाराष्ट्र धर्म की रक्षा हो, यह शिवाजी महाराज का उदात्त उद्देश्य था । शिवाजी महाराज के बादवाले कालखंड में भी मराठी राज्य का भारत भर में विस्तार हुआ । मराठी सत्ता लगभग १५० वर्षों तक बनी रही ।

पिछले पाठों में हमने मराठी राज्य प्रशासन की जानकारी का अध्ययन किया । इस पाठ में हम तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति और जनजीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे ।

सामाजिक परिस्थिति : खेती और खेती पर आधारित उद्योग गाँव के स्तर पर उत्पादन के प्रमुख साधन थे । गाँव के पाटिल पर गाँव की रक्षा का तो कुलकर्णी पर राजस्व की देखभाल करने का दायित्व था । पाटिल के कार्य करने के लिए पाटिल को जागीर के रूप में जमीन दी जाती थी । इस कार्य के लिए उसे राजस्व का कुछ हिस्सा मिलता था । परजा-पवन (व्यावसायिकों) को गाँव के लोगों के लिए किए गए उनके काम का पारिश्रमिक वस्तुओं के रूप में मिलता था । देहात में चलनेवाले व्यवसायों के दो प्रमुख वर्ग थे - काला और सफेद । काले में काम करने वाले किसान कहलाते और सफेद में काम करनेवाले सफेदपेशा । गाँव-देहात के सभी कार्य व्यवहार पारस्परिक सूझ-बूझ के आधार पर चलते थे। संयुक्त परिवार को अधिक महत्त्व प्राप्त था।

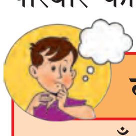

क्या तुम जानते हो ?

गाँव में लुहार, बढ़ई, कुम्हार, सुनार आदि बारह बलुतेदार (परजा-पवन) होते थे । ये बलुतेदार गाँव के लोगों के काम करते थे ।

रीति-रिवाज : इस कालखंड में बाल विवाह पद्धति प्रचलित थी । बहुपत्नीत्व की प्रथा भी प्रचलन में थी । विधवाओं के पुनर्विवाह के उदाहरण मिलते हैं। मानव शरीर पर अंतिम संस्कार के रूप में दाहकर्म, दफन करने और विसर्जित करने जैसी पद्धतियाँ प्रचलित थीं । छोटी-छोटी बातों अथवा युद्ध पर कूच करने हेतु शुभ समय अथवा मुहूर्त देखा जाता था । लोगों का शकुन, स्वप्न पर विश्वास था । ईश्वर अथवा ग्रहों का प्रकोप न हो; इसलिए अनुष्ठान किए जाते थे। दान-धर्म किया जाता था । ज्योतिष पर लोगों की श्रद्धा थी । वैज्ञानिक दृष्टि और सोच का अभाव था । औषधि-उपचार की अपेक्षा मानता, मनौती को महत्त्व प्राप्त था ।

रहन-सहन : बहुसंख्य लोग गाँव-देहात में रहते थे । उन्हें बाहर से केवल नमक मँगवाना पड़ता था। किसानों की आवश्यकताएँ सीमित थीं । किसान ज्वार, बाजरा, गेहूँ, मडुआ, मकई, चावल आदि अनाज उगाते थे । प्रतिदिन के भोजन में भाकरी (कोंचा/मोटी रोटी), प्याज, चटनी और सूखी सब्जी का समावेश था। लोग अपने-अपने व्यवहार वस्तु विनिमय (वस्तुओं का लेन-देन) पद्धति द्वारा करते थे । गाँव-देहात के मकान सादे, मिट्टी और ईंटों से बने होते थे । शहर में एक मंजिला अथवा दो मंजिला वाड़े (कोठियाँ) होते थे । संपन्न वर्ग के लोगों के भोजन में दाल-भात, रोटी, सब्जियाँ, कचूमर, दही-दूध के पदार्थ होते थे। पुरुष धोती, कुरता, अंगरखा, मुंडासा धारण करते थे । लुगड़ा (नौ गज की साड़ी) और चोली स्त्रियों की पोशाक थी।

तीज-त्योहार : लोग गुडी पाडवा, नागपंचमी, बैलपोळा (बैलों की पूजा), दशहरा, दीपावली, मकर संक्रांत, होली, ईद जैसे तीज-त्योहार मनाते थे । पेशवाओं के शासनकाल में गणेशोत्सव बड़े पैमाने पर मनाया जाता । उसका स्वरूप घरेलू था । पेशवा स्वयं गणेश भक्त थे । अतः गणेशोत्सव को महत्त्व प्राप्त हुआ । प्रतिवर्ष यह उत्सव भाद्रपद महीने की चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक चलता था ।

साढ़े तीन शुभ और उत्तम मुहूर्तों में से दशहरा एक शुभ मुहूर्त माना जाता है । लोग दशहरे के दिन से

शुभकार्य प्रारंभ करते हैं । इस दिन शस्त्रों और औजारों की पूजा की जाती । सीमोल्लंघन करते । एक-दूसरे को शमी के पत्ते देते । दशहरे के बाद मराठे युद्ध अभियान पर निकलते । दीवाली में बलि प्रतिपदा (दीपावली पाडवा) और भाई दूज विशेष रूप से मनाए जाते । गाँव-देहात में मेले लगते । मेलों में दंगल (कुश्ती) के अखाड़े लगते । गुढ़ी पाडवा के दिन गुढ़ी (धार्मिक ध्वजा) खड़ी कर यह त्योहार मनाया जाता । उत्सव-पर्वों में नृत्य-गान, डफ (चंग) के गीत, तमाशा (नौटंकी) आदि मनोरंजन के कार्यक्रम होते । तमाशा (नौटंकी, लोकनाट्य) मनोरंजन का लोकप्रिय प्रकार था ।

बैलपोळा (बैलों की पूजा का त्योहार)

शिक्षा पद्धति : इस कालखंड की शिक्षा पद्धति में पाठशालाओं और मदरसों को स्थान था । घर में ही लेखन, पठन, हिसाब-किताब रखने की शिक्षा मिल जाती थी । मोड़ी (सर्राफा/घसीटा) लिपि का उपयोग लेन-देन और व्यापार में किया जाता था ।

यातायात-यात्रा : घाटमार्ग, सड़क, नदी पर बने पुल द्वारा यातायात चलता था । अनाज, वस्त्र, माल-सामान की ढुलाई बैलों की पीठ पर की जाती थी। नदी पार करने के लिए नावों का उपयोग किया जाता था। चिट्ठी-पत्रों को लाने-ले जाने का कार्य सांडनी सवार और दूत अथवा हरकारा करते थे ।

खेल : इस कालखंड में विभिन्न प्रकार के खेल खेले जाते थे । खेल मनोरंजन के साधन थे । कुश्ती और युद्ध कला जैसे खेल लोकप्रिय थे । मल्लखंभ (मलखम), दंड, कुश्ती लड़ना, गतका-फरी चलाना, बोथाटी (एक प्रकार की लाठी, जिसके

मल्लखंभ (मलखम)

दोनों सिरों पर लकड़ी के गोले होते हैं) घुमाना जैसे खेल खेले जाते। हुतूतू, खो-खो, आट्यापाट्या जैसे मैदानी खेल और चौसर, गंजीफा, शतरंज जैसे भीतरी खेल लोकप्रिय थे।

धर्म तथा आचार-विचार : इस कालखंड में हिंदू और मुस्लिम ये दो प्रमुख धर्म दिखाई देते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की धार्मिक नीति उदारतावादी थी । प्रत्येक मनुष्य अपने-अपने धर्म का पालन करे, अपने धर्म को दूसरे पर बलात न लादे; इस प्रकार की विचारधारा उस कालखंड में प्रचलित थी । सरकार द्वारा पाठशालाओं, मंदिरों, मदरसों और मस्जिदों को आर्थिक सहायता दी जाती थी । दोनों धर्मों के अनुयायी एक-दूसरे के पर्वों-त्योहारों में सम्मिलित होते थे । वारकरी, महानुभाव, दत्त, नाथ, रामदासी पंथ प्रचलित थे ।

स्त्री जीवन : इस कालखंड में स्त्रियों का जीवन बड़ा कष्टमय था । उसका विश्व केवल मायका और ससुराल तक सीमित था । उसकी शिक्षा-दीक्षा की ओर किसी का ध्यान न था । कुछ ही स्त्रियों ने अक्षरज्ञान, प्रशासन और युद्ध कौशल में प्रगति की थी । उनमें वीरमाता जिजाबाई, येसूबाई, महारानी ताराबाई, उमाबाई दाभाडे, गोपिकाबाई, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई का समावेश था । बाल विवाह, अनमेल विवाह, विधवापन, केशवपन (मुंडन), सती, बहुपत्नीत्व जैसी कुप्रथाओं में स्त्रियों का जीवन

जकड़ गया था । संक्षेप में; स्त्रियों का जीवन अत्यंत प्रतिकूल हो गया था ।

ई.स.१६३० से १८१० अर्थात पौने दो सौ वर्षों के कालखंड को सामान्यतः मराठीशाही कहते हैं । इस कालखंड की कला और स्थापत्य की हम संक्षेप में समीक्षा करेंगे ।

शिल्पकला : शिवाजी महाराज के कालखंड में कसबा गणपति मंदिर का जीर्णोद्धार, लाल महल का निर्माण, राजगढ़ और रायगढ़ पर किए गए निर्माण कार्य, जलदुर्गों का निर्माण जैसे स्थापत्य निर्माण का उल्लेख मिलता है । इस कालखंड में हिरोजी इंदुलकर विख्यात स्थापत्य विशारद था ।

गाँव बसाते समय संभवतः एक-दूसरे को समकोण में काटतीं सड़कें, सड़क के किनारे पत्थर लगाना, नदी के किनारे घाट जैसी निर्माण कार्य की संरचना होती थी। पेशवाओं के कालखंड में अहमदनगर, बीजापुर जैसी पेयजल व्यवस्था पुणे शहर में की गई थी । पेशवाओं ने भूमिगत नल, छोटे-छोटे बाँध, बाग-बगीचे, हौज, पानी के फौआरों का निर्माण करवाया । पुणे शहर के समीप हड़पसर क्षेत्र के दिवे घाट में बनाया गया मस्तानी तालाब स्थापत्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

पुणे का शनिवारवाड़ा, विश्रामबागवाड़ा, नाशिक का सरकारवाड़ा, कोपरगाँव का रघुनाथ पेशवा का वाड़ा, सातारकर छत्रपतियों के वाड़े, इनके अतिरिक्त वाई, मेणवली, टोके, श्रीगोंदे, पंढरपुर के पुराने वाड़े मध्ययुगीन वाड़ा संस्कृति के चिह्न हैं । वाड़ों के निर्माण कार्य में कच्ची और पक्की ईटों का उपयोग किया जाता था । लकड़ी के खंभे, शहतीर, तराशे हुए पत्थर, कमानें, उत्तम घोटा हुआ चूना, खपरैल छप्पर, कीचड़, बाँस का उपयोग भी निर्माण कार्य में किया जाता था । वाड़ों की सजावट में चित्रकार्य, रंगकार्य, काष्ठशिल्प (लकड़ी के शिल्प), आईनों का उपयोग किया जाता था ।

मंदिर : शिवाजी महाराज के कालखंड में बनाए गए मंदिर यादवकालीन हेमाडपंती शैली के हैं । कोल्हापुर की अंबाबाई मंदिर का शिखर, पहाड़ पर बने जोतिबा के मंदिर, शिखर शिंगणापुर के शंभुमहादेव का मंदिर, वेरुल (एलोरा) का घृष्णेश्वर मंदिर शिल्पविद्या के उत्तम उदाहरण हैं । प्रतापगढ़ पर देवी भवानी के और गोआ के सप्तकोटेश्वर मंदिर का निर्माण कार्य शिवाजी महाराज द्वारा करवाया गया है। पेशवाओं के कार्यकाल में नाशिक का कालाराम मंदिर, त्र्यंबकेश्वर का शिवमंदिर, गोदावरी-प्रवरा नदियों के संगम पर स्थित कायगाँव और टोके के शिव मंदिर, नेवासा का मोहिनीराज मंदिर बनाए गए।

घृष्णेश्वर मंदिर

घाट : नदी अथवा नदियों की संगम स्थली पर तराशे गए पत्थरों से बनाए हुए घाट मराठीशाही की विशेषता है । इस कालखंड में सबसे सुंदर घाट गोदावरी और प्रवरा नदियों के संगम पर प्रवरा संगम और टोके में बनाए गए हैं । पक्की निर्माणवाली सीढ़ियों की कतार में, निश्चित दूरी पर दूसरी सीढ़ी आगे बनाई जाती थी । इस कारण सभी घाटों का रूप निखर उठता था । पानी के बहाव द्वारा घाट का स्खलन न हो; इसलिए निश्चित दूरी पर पक्के बुर्ज बाँधे जाते ।

चित्रकला : पेशवाओं के कालखंड में शनिवारवाड़ा की दीवारों पर बनाए गए चित्र महत्वपूर्ण हैं । इस कालखंड में राघो, तानाजी, अनूपराव, शिवराम, माणकोजी जैसे विख्यात चित्रकार हुए । सवाई माधवराव पेशवा के कार्यकाल में गंगाराम तांबट प्रख्यात चित्रकार था । पेशवाओं ने चित्रकला को प्रोत्साहन दिया । पेशवाओं के

कार्यकाल में पुणे, सातारा, मेणवली, नाशिक, चांदवड और निपाणी के वाड़ों की दीवारों पर चित्र बनाए गए थे। पांडेश्वर, मोरगाँव, पाल, बेनवड़ी और पुणे के समीप पाषाण में बनाए गए मंदिरों की दीवारों पर चित्र बनाए गए थे । इस कालखंड के चित्रों के विषय दशावतार, गणेशजी, शंकर, रामपंचायतन, विदर्भ के जामोद में निर्मित जैन मंदिर में अंकित जैन चरित्र और पौराणिक कथाएँ थे । इसी तरह रामायण, महाभारत, तीज-त्योहार, पर्व-उत्सव पर आधारित चित्र बनाए जाते थे । पोथियों पर अंकित चित्र, लघुचित्र, व्यक्तिचित्र और प्रसंगचित्र भी थे ।

शिल्प : इसी कालखंड में शिवाजी महाराज द्‌वारा कर्नाटक पर किए गए आक्रमण के समय मल्लम्मा देसाई से हुई भेंट का शिल्प, भुलेश्वर मंदिर की शिल्पकला, व्यक्तियों के शिल्प, पशु-प्राणियों के शिल्प (जैसे-हाथी, मोर, बंदर), टोके के मंदिरों में बने शिल्प और बाहरी भागों की शिल्पकला, पुणे का त्रिशुंड गणपति मंदिर, मध्य प्रदेश की अहिल्यादेवी होळकर की छतरी, नेवासा के मोहिनीराज मंदिर की शिल्पकला महत्त्वपूर्ण है ।

धातु की मूर्तियाँ : पेशवाओं ने पुणे की पर्वती में बनाए गए मंदिर में पूजा के लिए पार्वती और गणपति की मूर्तियाँ बनवाकर ली थीं । इसी तरह लकड़ी के शिल्प भी बनाए जाते थे ।

वाङ्‌मय (ग्रंथ साहित्य) : संत साहित्य, पौराणिक आख्यान, टीका वाङ्‌मय, ओवी, अभंग (सबद), ग्रंथ, कथाकाव्य, चरित्रकथाएँ, संतों के चरित्र, फुटकल (मुक्त) काव्य रचनाएँ, देवी-देवताओं से संबंधित आरतियाँ, पोवाडे (शौर्य कथाएँ), बखरी (इतिहास), ऐतिहासिक पत्र ये सभी वाङ्‌मय अर्थात साहित्य के विविध अंग हैं ।

नाट्‌यकला : सत्रहवीं शताब्दी के अंत में दक्षिण में तंजौर नामक स्थान पर मराठी नाटकों का प्रारंभ हुआ । सरफोजी राजाओं ने इस कला को प्रोत्साहन दिया। इस नाटक में गायन और नृत्य को महत्व प्राप्त था ।

अब तक हमने मध्यकाल की समीक्षा की । मराठी सत्ता का उदय और उसके विस्तार का अध्ययन किया। अगले वर्ष हम आधुनिक कालखंड का अध्ययन करेंगे।

स्वाध्याय

१. **तालिका पूर्ण करो :**

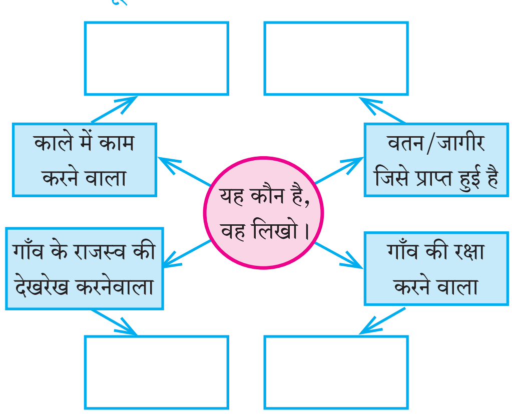

२. समाज में कौन-कौन-सी कुप्रथाएँ प्रचलित हैं ? उनका उन्मूलन करने के उपाय सुझाओ ।

३. तुम्हारे परिसर में कौन-कौन-से पर्व-त्योहार मनाए जाते हैं, इस विषय पर विस्तार में एक टिप्पणी लिखो ।

४. **निम्न मुद्‌दों के आधार पर शिवाजी महाराज कालीन सामाजिक जीवन तथा वर्तमान सामाजिक जीवन की तुलना करो ।**

क्र.	मुद्दे	शिवाजी महाराज कालीन सामाजिक जीवन	वर्तमान सामाजिक जीवन
१.	व्यवहार	....	....
२.	मकान	....	पक्के सीमेंट, कांक्रीट के अनेक मंजिला मकान
३.	यातायात	....	बस, रेल, विमान
४.	मनोरंजन	....	....
५.	लिपि	....	....

उपक्रम

हमारे देश की महान और उल्लेखनीय नारियों के बारे में जानकारी प्राप्त करो । उसका कक्षा में पठन करो। जैसे - पी.वी.सिंधु, साक्षी मलिक

नागरिक शास्त्र

– अनुक्रमणिका –

हमारा संविधान

क्र.	पाठ का नाम	पृष्ठ क्र.
१.	संविधान से हमारा परिचय	६३
२.	संविधान की उद्देशिका	६८
३.	संविधान की विशेषताएँ	७२
४.	मौलिक अधिकार भाग-१	७६
५.	मौलिक अधिकार भाग-२	८०
६.	नीति निदेशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य	८३

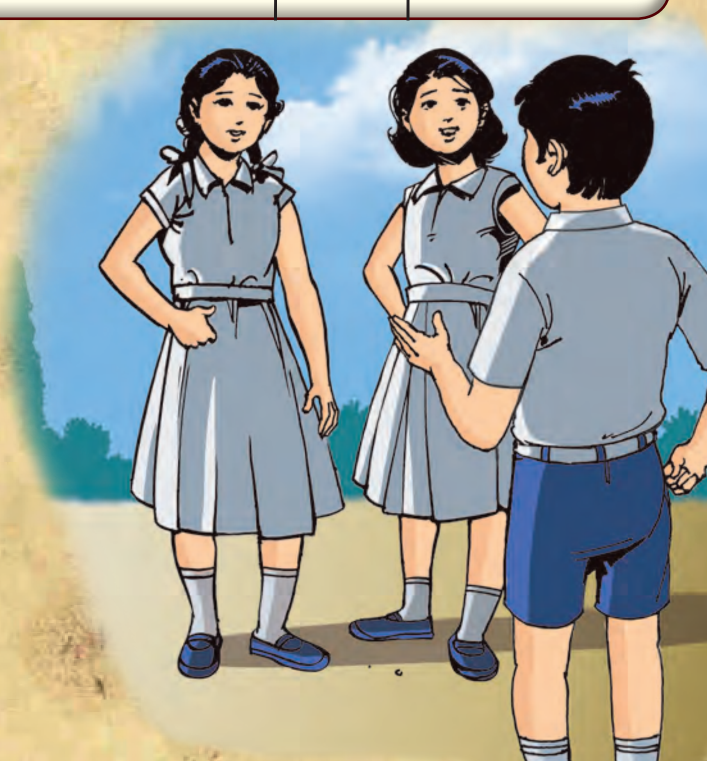

क्षमता विधान

क्र.	घटक	क्षमता
१.	**संविधान से हमारा परिचय**	– संविधान की कार्य प्रणाली में विरोधी मतों-विचारों का उचित सम्मान किया गया; यह समझना । – संविधान निर्माण में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर द्‌वारा दिए गए योगदान का महत्त्व समझना । – संविधान का उद्‌देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता जैसे मूल्यों के आधार पर नए समाज का निर्माण करना । – लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार आचरण करना ।
२.	**संविधान उद्‌देशिका**	– संविधान की उद्‌देशिका में उल्लिखित मूल्य मानवतावाद पर आधारित हैं; यह समझना । – प्रभुत्व संपन्न राज्य की अवधारणा को समझना । – लोकतंत्र में प्रशासन की सत्ता लोगों के हाथ में होती है; इसे समझना । – लोकतंत्र में विचार-विमर्श के आधार पर सामूहिक रूप से निर्णय लिये जाते हैं; इसका बोध करना ।
३.	**संविधान की विशेषताएँ**	– संविधान की विशेषताएँ बताना आना । – लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की विशेषताएँ बताना । – संघराज्य प्रणाली में दो स्तरों पर शासन संस्थाएँ कार्य करती हैं; यह ज्ञात करना ।
४.	**मौलिक अधिकार**	– संविधान में उल्लिखित अधिकारों को न्यायालय का विशेष संरक्षण प्राप्त रहता है; यह समझना । – सभी स्तरों पर कार्य करनेवाली शासन संस्थाओं पर मौलिक अधिकार बंधनकारक होते हैं; यह बताना । – कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं; यह बोध विकसित होना । – भारत में धार्मिक विविधता का सम्मान करने की प्रवृत्ति को विकसित करना । – सभी अल्पसंख्यक अपनी-अपनी भाषा, लिपि, साहित्य का संवर्धन कर सकते हैं; इसका बोध करना । – किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण के और गैरकानूनी ढंग से बंदी बनाकर स्थानबद्‌ध नहीं कर सकते; इस विषय में जानकारी प्राप्त करना ।
५.	**नीति निदेशक सिद्‌धांत और मौलिक कर्तव्य**	– नीति निदेशक सिद्‌धांतों पर आधारित बनाए गए कानूनों की सूची तैयार करना आना । – नीति निदेशक सिद्‌धांतों को न्यायालयीन संरक्षण प्राप्त नहीं है परंतु वे सिद्‌धांत नैतिक रूप से सरकार पर बंधनकारक हैं; इसे समझना । – राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति आदर रखने की भावना को विकसित करना । – पर्यावरण की रक्षा करने हेतु उचित कृति करने में अग्रसर होना । – महिलाओं की प्रतिष्ठा के प्रति आदर भाव रखने की प्रवृत्ति का संवर्धन करना । – अंधविश्वास का उन्मूलन कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पोषण करने हेतु प्रवृत्त करना । – भारतीयत्व का बोध विकसित करना ।

१. संविधान से हमारा परिचय

चलो, थोड़ा-सा दोहरा लें

इसके पूर्व की कक्षाओं में नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तकों में हमने नियमों की आवश्यकता के विषय में बहुत सारे बिंदुओं को समझा है । परिवार, विद्‌यालय, हमारा गाँव, महानगर का कार्यव्यापार सुचारु रूप से चले; इसके लिए हम संकेतों और नियमों का पालन करते हैं। परिवार के नियम नहीं होते हैं परंतु प्रत्येक परिवार के सदस्य कैसा आचरण करेंगे; इस बारे में कुछ संकेत होते हैं । विद्‌यालय में प्रवेश, गणवेश और अध्ययन के विषय में नियम होते हैं । विविध स्पर्धाओं के भी नियम होते हैं । हमारे गाँव और महानगरों का शासन भी नियमों के अनुसार चलता है । इसी भाँति हमारे देश का शासन भी नियमों अर्थात कानून के अनुसार चलता है । परिवार, विद्‌यालय, गाँव, महानगर से संबंधित नियमों का स्वरूप सीमित होता है परंतु देश के शासन से संबंधित कानून अथवा प्रावधान व्यापक होते हैं ।

> समीर और वंदना के मन में जो प्रश्न उपस्थित हुए हैं; क्या तुम भी उन प्रश्नों को पूछना चाहते हो ?
> - देश का शासन जिन कानूनों या प्रावधानों के अनुसार चलता है; वे नियम कहाँ होते हैं ?
> - उन नियमों को कौन बनाता है ? क्या उन नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है?

इन प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए पाठ्यांश में तुम्हें मिलते हैं क्या ? यह देखो ।

संविधान : अर्थ

देश का शासन चलाने से संबंधित जो कानून एवं प्रावधान एकत्रित और सूत्रबद्ध पद्धति से जिस पुस्तक में उल्लिखित रहते हैं; उसे संविधान कहते हैं । इसका अर्थ यह है कि संविधान देश के प्रशासन से संबंधित कानूनों और प्रावधानों का लिखित दस्तावेज है । जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि सरकार का गठन करते हैं । संविधान के कानून के अनुसार ही प्रशासन चलाना शासन के लिए अनिवार्य होता है । संविधान में उल्लिखित प्रावधान अथवा कानून मूलभूत होते हैं। सरकार संविधान के साथ विसंगति रखनेवाले कानूनों का निर्माण नहीं कर सकती । यदि सरकार ऐसा करती है तो न्यायपालिका उन कानूनों को रद्द कर सकती है ।

संविधान में उल्लिखित कानून अथवा प्रावधान :

संविधान में उल्लिखित कानून अथवा प्रावधान विभिन्न विषयों से संबंधित होते हैं । जैसे- नागरिकत्व, नागरिकों के अधिकार, नागरिक और शासन संस्थाओं के बीच के संबंध, सरकार द्वारा किए जानेवाले कानूनों के विषय, चुनाव, सरकार की सीमाएँ एवं राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र आदि ।

सभी देशों ने संविधान के अनुसार शासन चलाने के सिद्धांत को स्वीकार किया है परंतु ऐसा होने पर भी प्रत्येक देश के संविधान का स्वरूप एक-दूसरे से भिन्न होता है । इतिहास, समाज संरचना, संस्कृति, परंपरा आदि बातों में अलग-अलग देशों में विभिन्नता अथवा अलगपन पाया जाता है । इसी तरह प्रत्येक राष्ट्र की आवश्यकताएँ और उद्देश्य भी एक -दूसरे-से भिन्न होते हैं । परिणामस्वरूप प्रत्येक राष्ट्र अपनी-अपनी आवश्यकताओं और उद्देश्यों के अनुरूप अपना संविधान तैयार करने का प्रयास करता है।

क्या तुम जानते हो ?

> अमेरिका, इंग्लैंड का शासन संविधान के अनुसार चलता है परंतु दोनों के संविधानों में अंतर है । जैसे - अमेरिका का संविधान ई. स. १७८९ में कार्यान्वित हुआ। यह संविधान लिखित स्वरूप में है तथा उसमें केवल ७ धाराओं का समावेश है । यद्यपि संविधान लागू होकर २२५ वर्षों से भी अधिक समय बीत गया है; फिर भी अमेरिका का शासन आज भी उसी संविधान के अनुसार चलाया जाता है ।

इंग्लैंड का इतिहास अनेक शताब्दियों का रहा है । इस देश में शासन से संबंधित कानून संकेतों, रूढ़ियों और परंपराओं के रूप में पाए जाते हैं । फिर भी इन कानूनों का पालन बड़ी कड़ाई से किया जाता है । ई.स.१२१५ में मैग्नाकार्ट अनुबंध संपन्न हुआ; तब से इंग्लैंड का संविधान विकसित होता गया । इसमें कुछ ही लिखित कानूनों का समावेश है फिर भी इंग्लैंड का संविधान प्रमुखतः अलिखित स्वरूप में है ।

चलो, खोजें

अपने पसंदीदा किसी एक देश के संविधान के बारे में निम्न मुद्दों के आधार पर जानकारी प्राप्त करो :-

देश का नाम, संविधान निर्माण का वर्ष, संविधान की दो विशेषताएँ ।

संविधान की आवश्यकता : संविधान में उल्लिखित कानूनों/प्रावधानों के अनुसार सरकार चलाने के अनेक लाभ हैं ।

* सरकार के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह कानून के दायरे में रहकर ही प्रशासन चलाए । फलस्वरूप सरकार को प्राप्त अधिकारों अथवा सत्ता का दुरुपयोग किए जाने की संभावना कम रहती है ।
* संविधान में नागरिकों के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता का उल्लेख रहता है । सरकार उन अधिकारों को छीनकर नहीं ले सकती । इससे नागरिकों के अधिकार एवं उनकी स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है ।
* संविधान के कानूनों/प्रावधानों के अनुसार प्रशासन चलाना ही कानून का राज्य स्थापित करने जैसा है क्योंकि इसमें सत्ता के दुरुपयोग अथवा मनमाना प्रशासन करने के लिए अवसर नहीं रहता है ।
* संविधान के अनुसार प्रशासन चलता देख सरकार के प्रति आम लोगों में विश्वास निर्माण हो जाता है । इसके द्वारा वे प्रशासन में प्रतिभागी बनने के लिए उत्सुक हो जाते हैं । आम लोगों की बढ़ती प्रतिभागिता के कारण लोकतंत्र अधिक दृढ़ बनता है ।
* संविधान अपने-अपने देश के सम्मुख राजनीतिक आदर्श उपस्थित करता है । संविधान के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ना संबंधित देश पर बंधनकारक होता है । इसके द्वारा विश्व शांति और सुरक्षा तथा मानवीय अधिकारों के संवर्धन हेतु पोषक वातावरण का निर्माण होता है ।
* संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों का भी उल्लेख रहता है । फलस्वरूप नागरिकों के उत्तरदायित्व भी निश्चित हो जाते हैं ।

प्रशासन किसे कहते हैं ?

किसी भी राष्ट्र के प्रशासन में किन बातों का समावेश रहता है ?

देश की सीमाओं की तथा विदेशी आक्रमण से जनता की रक्षा करने से लेकर दरिद्रता उन्मूलन, रोजगार निर्माण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा, उद्योग-व्यवसायों को प्रोत्साहन देना, दुर्बल वर्गों का संरक्षण, महिला, शिशु और आदिवासियों की उन्नति हेतु उपाय योजना करना जैसे अनगिनत विषयों पर सरकार (शासन) को कानून बनाने पड़ते हैं । कानून के कार्यान्वयन द्वारा समाज में आवश्यक परिवर्तन लाने पड़ते हैं । संक्षेप में कहना हो तो आधुनिक समय में सरकार को अंतरिक्ष अनुसंधान से लेकर सार्वजनिक स्वच्छता तक के सभी विषयों में निर्णय करने पड़ते हैं । इसी को प्रशासन कहा जाता है ।

संविधान का अर्थ और उसकी आवश्यकता को समझ लेने पर अब हम भारत के संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ; यह देखेंगे ।

संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि : भारत के संविधान निर्माण का प्रारंभ ई.स.१९४६ से ही हुआ । स्वतंत्र भारत का प्रशासन अंग्रेजों के कानून के अनुसार नहीं चलेगा अपितु भारतीयों द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार चलेगा, इस बात के प्रति स्वतंत्रता आंदोलन के नेता आग्रही थे । फलतः

भारत का संविधान बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया । उस समिति को 'संविधान सभा' कहा जाता है ।

संविधान सभा : हमारा देश १५ अगस्त १९४७ को स्वतंत्र हुआ । इसके पूर्व भारत पर अंग्रेजों का शासन था । अंग्रेज सरकार ने राज्य प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से मुंबई प्रांत, बंगाल प्रांत और मद्रास प्रांत जैसे विभाग गठित किए थे । इन प्रांतों का प्रशासन वहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता था । इसी भाँति देश के कुछ हिस्सों का प्रशासन वहाँ के स्थानीय नरेश चलाते थे । इन क्षेत्रों को रियासतें कहते थे और उन रियासतों के प्रमुख को रियासतदार कहते थे । संविधान सभा में प्रांतों और रियासतों के प्रतिनिधियों का समावेश था ।

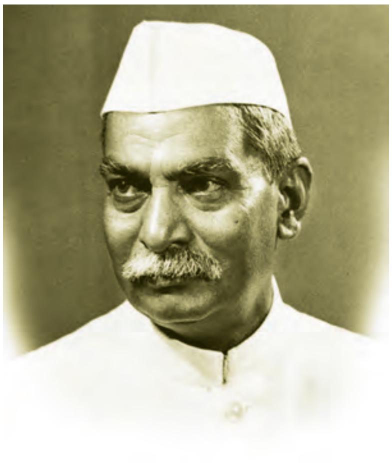
डॉ.राजेंद्रप्रसाद

संविधान सभा में कुल २९९ सदस्य थे । डॉ. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे ।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर का योगदान :

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रारूप (मसौदा) समिति के अध्यक्ष थे । उन्होंने विभिन्न देशों के संविधानों का गहन अध्ययन किया था । उन्होंने रात-दिन अध्ययन एवं चिंतन कर संविधान का प्रारूप तैयार किया।

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान का प्रारूप संविधान सभा के सम्मुख रखा गया। संविधान की एक-एक धारा पर विचार विमर्श हुआ । कई संशोधन एवं सुधार सुझाए गए। संविधान सभा के समक्ष संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करने, प्रारूप से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने तथा संविधान सभा के अभिप्रायों के अनुसार मूल प्रारूप में परिवर्तन करने, प्रत्येक कानून और प्रावधान को त्रुटिरहित बनाने का कार्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने किया । भारत के संविधान निर्माण में उनके द्वारा दिए गए इस योगदान के कारण उन्हें 'भारतीय संविधान का शिल्पकार' कहते हैं ।

संपूर्ण संविधान लिखकर पूर्ण होने पर संविधान सभा ने उसे मान्यता प्रदान की और २६ नवंबर १९४९ को उसको स्वीकार किया । अतः २६ नवंबर का दिन 'संविधान दिवस' के रूप में मनाया जाता है । संविधान के कानूनों एवं प्रावधानों के अनुसार

यह बात कितनी गौरवपूर्ण है !

- संविधान सभा में सभी निर्णय चर्चा और विचार-विमर्श के आधार पर लिए गए । विरोधी मतों के प्रति आदर और उनके उचित अभिप्रायों को स्वीकार किया जाना संविधान सभा के कामकाज की विशेषता थी ।
- संविधान लिखकर पूर्ण होने में २ वर्ष, ११ महीने और १७ दिन का समय लगा ।
- मूल संविधान में २२ अनुभागों, ३९५ धाराओं और ८ परिशिष्टों का समावेश था ।

क्या तुम जानते हो ?

संविधान सभा में डॉ.राजेंद्रप्रसाद, पं.जवाहरलाल नेहरू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, सरदार वल्लभभाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, जे.बी. कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, दुर्गाबाई देशमुख, हंसाबेन मेहता जैसे अनेक मान्यवर सदस्य थे । कानून विशेषज्ञ बी. एन. राव की संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्ति की गई थी।

देश का शासन २६ जनवरी १९५० से चलना प्रारंभ हुआ । इस दिन से भारत का गणतांत्रिक राज्य अस्तित्व में आया । अतः हम २६ जनवरी का दिन 'गणतंत्र दिवस' के रूप में मनाते हैं ।

पं.जवाहरलाल नेहरू

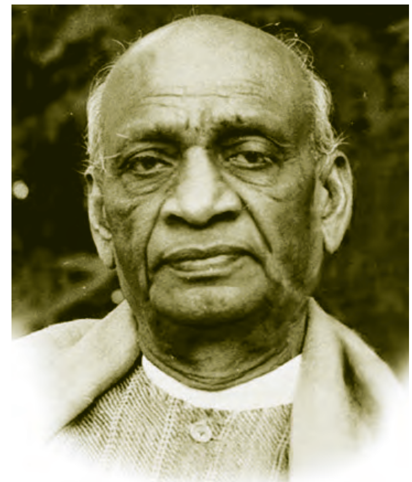

सरदार वल्लभभाई पटेल

मौलाना आजाद

सरोजिनी नायडू

करके देखो

तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हारी कक्षा का प्रशासन नियमों के अनुसार चलना चाहिए । उन नियमों में तुम किन नियमों का समावेश करोगे ? तो फिर चलो... कक्षा के लिए नियमावली बनाओ ।

क्या तुम जानते हो ?

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर का योगदान जलप्रबंधन, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, पत्रकारिता, अर्थनीति, सामाजिक न्याय जैसे विभिन्न क्षेत्रों में रहा ।

भारतीय संविधान का प्रारूप डॉ. राजेंद्र प्रसाद को सौंपते हुए डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

स्वाध्याय

१. निम्न अवधारणा को स्पष्ट करो :

(१) संविधान में उल्लिखित कानून/प्रावधान

(२) संविधान दिवस

२. चर्चा करो :

(१) संविधान समिति का गठन किया गया ।

(२) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार कहते हैं ।

(३) देश के प्रशासन में समाविष्ट बातें ।

३. उचित विकल्प चुनो :

(१) किस देश का संविधान पूर्णतः लिखित स्वरूप में नहीं है ?

(अ) अमेरिका (ब) भारत

(क) इंग्लैंड (ड) इनमें से कोई नहीं ।

(२) संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे ?

(अ) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

(ब) डॉ. राजेंद्रप्रसाद

(क) दुर्गाबाई देशमुख

(ड) बी.एन.राव

(३) निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे ?

(अ) महात्मा गांधी

(ब) मौलाना आजाद

(क) राजकुमारी अमृत कौर

(ड) हंसाबेन मेहता

(४) प्रारूप (मसौदा) समिति के अध्यक्ष कौन थे ?

(अ) डॉ. राजेंद्र प्रसाद

(ब) सरदार वल्लभभाई पटेल

(क) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर

(ड) जे.बी.कृपलानी

४. अपने विचार लिखो :

(१) सरकार को किन-किन विषयों से संबंधित कानून बनाने पड़ते हैं ?

(२) २६ जनवरी का दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं ?

(३) संविधान में उल्लिखित कानूनों/प्रावधानों के अनुसार शासन चलाने के लाभ ।

उपक्रम

(१) संविधान सभा में विभिन्न समितियों का गठन हुआ। उनसे संबंधित जानकारी प्राप्त करो और समितियों के शीर्षकों की सारिणी बनाओ । शीर्षकों सहित चित्रों का संग्रह करो ।

(२) विद्यालय में 'संविधान दिवस' किस प्रकार मनाया गया । इसका प्रतिवेदन तैयार करो ।

(३) संविधान सभा में समाविष्ट सदस्यों के चित्रों का संग्रह बनाओ ।

२. संविधान की उद्देशिका

पिछले पाठ में हमने क्या सीखा !

- संविधान कानूनों का एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है; जिसके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है ।
- भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्‌वारा किया गया ।
- हमारे जनप्रतिनिधियों को संविधान के कानूनों के अनुसार ही देश का कार्य चलाना पड़ता है ।

संविधान हमारे देश का मौलिक और श्रेष्ठतम कानून है । किसी भी कानून को बनाने के पीछे कुछ निश्चित उद्‌देश्य होते हैं । ये उद्‌देश्य निर्धारित किए जाने के बाद विस्तार में कानून के अन्य कानून अथवा प्रावधान बनाए जाते हैं । उन कानूनों की एकत्रित रूप में संक्षिप्त और सुसूत्रता के साथ की गई संरचना को उद्‌देशिका कहते हैं। उद्‌देशिका हमारे संविधान के उद्‌देश्यों का परिचय कराती है ।

करके देखो

संविधान की उद्‌देशिका पढ़ो । उसमें आए हुए शब्दों की सूची बनाओ । ये शब्द तुम अन्यत्र कहाँ पढ़ते हो ?

हम सभी भारत के नागरिक हैं । हम सभी को एक देश के रूप में क्या प्राप्त करना है; इसे उद्‌देशिका स्पष्ट करती है । इसमें उल्लिखित मूल्य, विचार, लक्ष्य और उद्‌देश्य उदात्त हैं। उन्हें कैसे प्राप्त करना है; इससे संबंधित कानून संपूर्ण संविधान द्‌वारा स्पष्ट किए गए हैं।

संविधान की उद्‌देशिका का प्रारंभ 'हम भारत के लोग' शब्दों से होता है । इसमें भारतीयों के उस दृढ़ संकल्प का उल्लेख है; जिसके अनुसार सभी भारतीय भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए कटिबद्‌ध हैं । इस संकल्पना की प्रत्येक अवधारणा का अर्थ हम समझेंगे।

(१) प्रभुत्व संपन्न राज्य : भारत पर दीर्घकाल तक अंग्रेजों का शासन रहा । यह शासन १५ अगस्त १९४७ को समाप्त हुआ । हमारा देश स्वतंत्र हुआ। भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हुआ । हम अपने देश के विषय में उचित नीतियाँ बनाने और निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं । संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ किसी देश का किसी विदेशी नियंत्रण में न होना है।

हमारे समग्र स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे प्रमुख उद्‌देश्य प्रभुत्व संपन्न बनना था । प्रभुत्व संपन्न बनने का अर्थ सरकार चलाने का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होना है । लोकतंत्र में प्रभुत्व संपन्नता जनता के अधिकार में होती है। जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है तथा उन प्रतिनिधियों को उनकी संप्रभुता के अधिकारों का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करती है । हम अपने देश के अंतर्गत कौन-से कानून बनाएँ; यह निश्चित करने का अधिकार जनता और जनता द्‌वारा चुनी हुई सरकार को प्राप्त है ।

(२) समाजवादी राज्य : समाजवादी राज्य उसे कहते हैं; जिस राज्य में निर्धन और धनवानों के बीच खाई नहीं होती है । देश की संपत्ति पर सभी का अधिकार होता है । कुछ ही लोगों के हाथ में संपत्ति का एकत्रीकरण नहीं होगा; इसकी सावधानी बरती जाती है ।

(३) पंथ निरपेक्ष राज्य : उद्‌देशिका में पंथ निरपेक्षता को हमारा उद्‌देश्य बताया गया है । पंथ निरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान आदर दिया जाता है ।

किसी एक धर्म को राज्य के धर्म के रूप में

स्वीकार नहीं किया जाता । नागरिकों को अपने-अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता रहती है । धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता ।

क्या तुम जानते हो ?

पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाकर हमने समाज की बहुधार्मिकता को सुरक्षित रखने का प्रयास किया है । हमें संविधान द्वारा अनेक अधिकार प्राप्त हुए हैं परंतु उनका हम मनमाना अथवा असीमित उपयोग नहीं कर सकते । यह बात धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में भी लागू होती है । जब हम त्योहार-पर्व मनाते हैं तब हमें सार्वजनिक स्वच्छता, स्वास्थ्य और पर्यावरण का विचार करना भी आवश्यक होता है।

(४) लोकतांत्रिक राज्य : लोकतंत्र में प्रशासन की सत्ता लोगों के हाथों में होती है । उनकी इच्छा के अनुसार सरकार निर्णय लेती है और नीतियाँ निर्धारित करती है । सभी का कल्याण साध्य करने हेतु सरकार को महत्त्वपूर्ण आर्थिक-सामाजिक निर्णय लेने पड़ते हैं। इस प्रकार के निर्णय प्रतिदिन सभी लोगों को इकट्ठे आकर लेना संभव नहीं होता है। अतः निश्चित अवधि के पश्चात चुनाव होते हैं । इन चुनावों में मतदाता अपना वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधि संविधान द्वारा निर्मित संसद, कार्यपालिका में प्रवेश करते हैं। संविधान में उल्लिखित प्रक्रिया द्वारा संपूर्ण जनता के लिए निर्णय लिए जाते हैं ।

(५) गणराज्य : हमारे देश में लोकतंत्र के साथ-साथ गणतांत्रिक प्रणाली प्रचलित है । गणराज्य में सभी सार्वजनिक पद लोगों द्वारा चुने जाते हैं । कोई भी सार्वजनिक पद वंश-परंपरा अथवा विरासत में प्राप्त नहीं होता है ।

चर्चा करो

'मेरा परिवार' विषय पर दीपा ने क्या लिखा है ? वह पढ़ो ।

लोकतंत्र से तात्पर्य केवल चुनाव नहीं है । मेरे माता जी-पिता जी घर के सभी काम इकट्ठे करते हैं । उन कामों में हम भी हाथ बँटाते हैं। एक-दूसरे से बोलते समय हम संभवतः झगड़ा न करते हुए बोलते हैं । यदि झगड़ा होता भी है; तब भी शीघ्र ही उसे सुलझाकर एक-दूसरे का कहना सुन लेते हैं । यदि दादा जी-दादी जी कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो उनसे भी पूछा जाता है । अनुजा को कृषि अध्ययन में अनुसंधान करना है । उसका यह निर्णय सभी को पसंद आया ।

दीपा के घर में लोकतांत्रिक पद्धति प्रचलित है; ऐसा तुम्हें लगता है क्या? इस परिच्छेद में लोकतंत्र की कौन-सी विशेषताएँ पाई जाती हैं ?

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महापौर (मेयर), सरपंच जैसे पद सार्वजनिक पद हैं। इन पदों पर विशिष्ट आयु की शर्त पूर्ण करने वाला कोई भी भारतीय नागरिक चुनाव लड़कर पहुँच सकता है । राज्यसत्ता प्रणाली में ये पद वंश परंपरा अथवा विरासत में एक ही परिवार के व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं ।

उद्देशिका द्वारा सभी भारतीय नागरिकों को तीन मूल्यों - न्याय, स्वतंत्रता और समता को और उनके अनुसार आचरण करने का, कानून बनाकर उन मूल्यों को प्रत्यक्ष व्यवहार में उतारने का आश्वासन दिया गया है । इन मूल्यों के अर्थ हम समझेंगे ।

(१) न्याय : न्याय का अर्थ होने वाले अन्याय को दूर कर सभी को उनकी प्रगति हेतु अवसर प्राप्त कराना है । सभी का कल्याण होगा; इस दृष्टि से उपायों की योजना करना ही न्याय को प्रस्थापित करना है । उद्देशिका में न्याय के तीन भेद बताए गए हैं। वे इस प्रकार हैं -

(अ) सामाजिक न्याय : व्यक्ति-व्यक्ति में

जाति, धर्म, वंश, भाषा, प्रदेश, जन्मस्थान या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता । सभी मनुष्य एक समान हैं ।

(ब) आर्थिक न्याय : भूख, भुखमरी, कुपोषण जैसी बातें निर्धनता अथवा दरिद्रता के कारण जन्म लेती हैं । निर्धनता को दूर करने के लिए प्रत्येक को अपना और अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए आजीविका का कोई साधन प्राप्त करने का अधिकार है । हमारे संविधान ने प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार बिना किसी भेदभाव के प्रदान किया है ।

(क) राजनीतिक न्याय : देश का शासन चलाने में सभी को प्रतिभागी बनने का अधिकार मिलना चाहिए। परिणामतः हमने वयस्क मतदान प्रणाली को अंगीकार किया है । इसके अनुसार १८ वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है।

(२) स्वतंत्रता : हम पर अन्यायकारी और अनुचित प्रतिबंध न होना तथा हमारी क्षमताओं का विकास होने हेतु पोषक वातावरण का होना; स्वतंत्रता की व्याख्या है । लोकतंत्र में नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त रहती है । स्वतंत्रता के होने से ही लोकतंत्र दृढ़ और परिपक्व बनता है ।

विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्ति की मौलिक स्वतंत्रता है । प्रत्येक नागरिक अपनी राय और अपने विचार व्यक्त कर सकता है । विचारों के आदान-प्रदान द्वारा पारस्पारिक सहयोग और एकता की भावना में वृद्धि होती है । साथ ही किसी समस्या के अनेक पहलू हमारे ध्यान में आते हैं ।

व्यक्ति की श्रद्धा, मान्यता और पूजा-उपासना की स्वतंत्रता द्वारा प्रमुखतः धार्मिक स्वतंत्रता व्यक्त होती है । प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने धर्म अथवा उसे पसंद आने वाले धर्म की सीख के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है । इस स्वतंत्रता में हमें अपने पर्व-त्योहार मनाने, ईश्वर की भक्ति करने और पूजा-अर्चना की स्वतंत्रता निहित है ।

चर्चा करो

स्वतंत्रता से संबंधित कुछ विधान नीचे दिए गए हैं । उनपर चर्चा करो ।

- ☐ सार्वजनिक रूप में पर्व-त्योहार मनाते समय कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है । इससे हमारी स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का बंधन नहीं आता ।
- ☐ स्वतंत्रता का अर्थ मनमाना आचरण करना नहीं है अपितु उत्तरदायित्व के साथ आचरण करना है ।

(३) समता : उद्देशिका द्वारा भारतीय नागरिकों को दर्जा और अवसर की समानता से आश्वस्त कराया गया है ।

इस सिद्धांत के अनुसार सभी समान हैं और जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर व्यक्ति-व्यक्ति के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता । ऊँच-नीच, श्रेष्ठ-अश्रेष्ठ जैसा भेदभाव न करना ही समता का आश्वासन देना है । उद्देशिका में उल्लिखित अवसर की समानता के सिद्धांत को अत्यंत महत्त्व प्राप्त है । अपनी उन्नति के अवसर सभी को प्राप्त होंगे । वे उपलब्ध करवाते समय किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा ।

संविधान की उद्देशिका में एक अनूठे आदर्श अथवा सिद्धांत का उल्लेख मिलता है । वह आदर्श अथवा सिद्धांत से तात्पर्य बंधुता का निर्माण करने का उद्देश्य और व्यक्ति की गरिमा बनाए रखने का आश्वासन है ।

(४) बंधुता : संविधानकर्ता अनुभव करते थे कि केवल न्याय, स्वतंत्रता और समता सिद्धांतों से आश्वस्त कराकर भारतीय समाज में समता उत्पन्न नहीं हो सकती । इसके लिए चाहे जितने कानून बनाए जाएँ लेकिन जब तक भारतीयों में भाईचारा अथवा बंधुता का निर्माण नहीं होगा तब तक इन

कानूनों का उचित उपयोग नहीं होगा । फलस्वरूप बंधुता निर्माण करने के उद्देश्य को उद्देशिका में समाविष्ट किया गया है।

हमारे देश के सभी नागरिकों के प्रति एक-दूसरे में आत्मीयता और अपनापन का भाव होना ही बंधुता है। बंधुता की भावना एक-दूसरे के प्रति सहृदयता का भाव उत्पन्न करती है । लोग एक-दूसरे की समस्याओं के बारे में संवेदनापूर्वक विचार करते हैं ।

बंधुभाव और व्यक्ति की गरिमा के बीच निकट का संबंध है । व्यक्ति की गरिमा से तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति को मनुष्य के रूप में गरिमा प्राप्त है । उसकी गरिमा उसकी जाति, धर्म, वंश, लिंग, भाषा पर निश्चित नहीं होती । जिस प्रकार हमें यह लगता है कि दूसरे हमारे साथ आदर-सम्मान का व्यवहार करें; वैसा आदर-सम्मान का व्यवहार हमें दूसरों के प्रति भी करना चाहिए।

जब प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सम्मान करते हुए उसकी स्वतंत्रता और अधिकार का आदर करेगा; तभी अपने-आप व्यक्ति की गरिमा का निर्माण होगा । ऐसे वातावरण में बंधुता भाव में सहजता से वृद्‌धि होगी । न्याय और समता पर आधारित नव समाज का निर्माण कार्य भी अधिक आसान होगा । इसका मार्गदर्शन भारतीय संविधान की उद्‌देशिका द्‌वारा प्राप्त होता है ।

भारत की जनता ने इस संविधान को स्वयं को अर्पित किया है; इस उल्लेख के साथ उद्‌देशिका की समाप्ति होती है ।

स्वाध्याय

१. ढूँढ़ो और लिखो :

स	पं	थ	नि	र	पे	क्ष
मा	स	म	ता	ना	भा	लो
ज	बं	धु	ता	व	क	क्ष
वा	भा	व	धु	तं	न्या	नि
द	मा	लो	त्र	त्र	ए	य

(१) देश के सभी नागरिकों और एक-दूसरे के प्रति आत्मीयता की भावना होना ।
(२) प्रशासन लोगों के हाथ में होना ।
(३) सभी धर्मों को समान मानना ।

२. लेखन करो :

(१) पंथ निरपेक्ष राज्य में कौन-से कानून होते हैं ?
(२) वयस्क मतदान प्रणाली किसे कहते हैं ?
(३) आर्थिक न्याय द्‌वारा नागरिकों को कौन-से अधिकार प्राप्त होते हैं ?
(४) समाज में व्यक्ति की गरिमा किस प्रकार निर्माण हो सकती है ?

३. हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है । हमें उसका उपयोग किस प्रकार करना चाहिए; तुम अपना मत/विचार लिखो/बताओ ।

४. अवधारणाएँ स्पष्ट करो :

(१) समाजवादी राज्य -
(२) समता -
(३) संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य -
(४) अवसर की समानता -

५. भारतीय संविधान की उद्‌देशिका में किन-किन महत्त्वपूर्ण सिद्‌धांतों का उल्लेख मिलता है ?

उपक्रम

(१) शिक्षकों की सहायता से मतपत्र और मतदान यंत्र (EVM) को समझ लेने के लिए तहसील कार्यालय जाओ ।
(२) अपने परिसर में उपलब्ध होने वाले समाचारपत्रों के नामों की सूची बनाओ ।

३. संविधान की विशेषताएँ

पिछले दो पाठों में हमने भारतीय संविधान का निर्माण और संविधान की उद्देशिका का अध्ययन किया । प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य जैसी अवधारणाओं को समझा। उद्देशिका में उल्लिखित ये उद्देश्य हमारे संविधान की विशेषताएँ भी हैं । इसके अतिरिक्त संविधान की अन्य दूसरी कौन-सी विशेषताएँ हैं; इसे हम इस पाठ में देखेंगे ।

संघराज्य : संघीय राज्यव्यवस्था हमारे संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है । भूप्रदेश विशाल हो और जनसंख्या अधिक हो तो ऐसे देशों में शासन चलाने की एक प्रचलित प्रणाली है । उसे संघराज्य प्रणाली कहते हैं। विशाल और व्यापक भूप्रदेश होने पर एक ही स्थान से प्रशासन चलाना कठिन होता है । सुदूर प्रदेश दुर्लक्षित हो जाते हैं। वहाँ के लोगों को प्रशासन में प्रतिभागी बनने का अवसर नहीं मिलता । अतः संघराज्य में दो स्तरों पर शासन संस्थाएँ होती हैं । संपूर्ण देश की सुरक्षा, विदेश नीति, शांति आदि कार्य केंद्र सरकार के दायित्व होते हैं । इसे 'केंद्र सरकार' अथवा 'संघ शासन' भी कहते हैं । केंद्र सरकार संपूर्ण देश का प्रशासन चलाती है ।

जिस प्रदेश में हम रहते हैं; उस प्रदेश का प्रशासन चलाने वाले शासन को 'राज्य सरकार' (राज्य शासन) कहते हैं । राज्य सरकार किसी सीमित प्रदेश का प्रशासन चलाती है । जैसे-महाराष्ट्र राज्य सरकार । दो स्तरों पर विभिन्न विषयों पर कानून बनाकर पारस्परिक सहयोग द्वारा शासन चलाने की इस प्रणाली को 'संघराज्य' कहते हैं ।

अधिकारों का विभाजन : संविधान ने संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच अधिकारों का विभाजन किया है । उसके अनुसार किस विषय के अधिकार किसके पास हैं; यह देखेंगे । हमारे संविधान ने तीन सूचियाँ बनाई है और उनमें विभिन्न विषयों का उल्लेख किया है ।

प्रथम सूची को 'संघ सूची' कहते हैं । इस सूची में ९७ विषय हैं तथा इन विषयों पर संघ सरकार कानून बनाती है । राज्य सरकार की 'राज्य सूची' है । इस सूची में ६६ विषय हैं । इन विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है । इन दोनों सूचियों के अतिरिक्त एक और सूची होती है । इस सूची को 'समवर्ती सूची' कहते हैं । इसमें ४७ विषय हैं। इन विषयों पर संघ और राज्य सरकार कानून बना सकती हैं । इन सूचियों में समाविष्ट विषयों को छोड़कर कोई विषय नए-से निर्माण होता है तो उसपर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को होता है । इस अधिकार को 'अवशिष्ट शक्तियाँ' कहते हैं ।

क्या तुम जानते हो ?

भारतीय संघराज्य में अधिकारों का विभाजन वैशिष्टपूर्ण है । इस प्रकार के विभाजन से संघ सरकार और राज्य सरकार को एक-दूसरे के साथ सहयोग करते हुए देश का विकास साधना संभव होता है । इस प्रणाली में देश के शासन में नागरिकों की सहभागिता को प्रोत्साहन मिलता है ।

कौन-से विषय किसके पास हैं ?

(१) संघ सरकार के अधीन विषय : रक्षा, विदेश नीति, युद्ध एवं शांति, मुद्रा व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि ।

(२) राज्य सरकार के अधीन विषय : कृषि, कानून एवं व्यवस्था, स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य, कारागार प्रशासन आदि ।

(३) दोनों सरकारों के संयुक्त अधीन में विषय : रोजगार, पर्यावरण, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, व्यक्तिगत कानून, शिक्षा आदि ।

संघ शासित प्रदेश : भारत में एक संघ सरकार, २९ राज्य सरकारें और ७ संघशासित प्रदेश हैं ।

संघशासित प्रदेशों पर संघ सरकार का नियंत्रण रहता है । नई दिल्ली, दमण-दीव, पुदुच्चेरी, चंडीगढ़, दादरा-नगर हवेली, अंदमान-निकोबार, लक्ष द्वीप संघशासित प्रदेश हैं ।

करके देखो

पूर्वोत्तर राज्यों की सूची बनाओ । वहाँ के राज्यों की राजधानी के शहर कौन-से हैं ?

संसदीय शासन प्रणाली : भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को लेकर प्रावधान निश्चित किए हैं । संसदीय शासन प्रणाली में संसद अर्थात विधायिका को निर्णय लेने के सर्वोच्च अधिकार होते हैं । भारत की संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा का समावेश रहता है । प्रत्यक्ष शासन चलाने वाले मंत्रिमंडल का निर्माण लोकसभा द्वारा किया जाता है और वह अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है । संसदीय शासन प्रणाली में संसद में होनेवाली चर्चाएँ, विचार विमर्शों को महत्त्व प्राप्त रहता है ।

स्वतंत्र न्यायपालिका : भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका का निर्माण किया गया है । जब विवादित मुद्दों का एक-दूसरे के बीच हल निकाला नहीं जा सकता; ऐसी स्थिति में वे न्यायालय में जाते हैं । न्यायालय दोनों पक्षों की जिरह सुनकर जिसके साथ अन्याय हुआ है; उसे दूर

क्या तुम जानते हो ?

प्रचलित नोट

तुमने प्रचलित नोट देखे हैं? उनपर 'केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत' अंकित रहता है।

पुलिसकर्मी के कंधे पर लगे बिल्ले को तुमने देखा होगा । उसपर 'महाराष्ट्र पुलिस' लिखा होता है ।

तुमने 'भारतीय रेल' और 'महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल' पढ़ा होगा ।

इसका अर्थ यह होता है कि हमारे देश में दो स्तरों पर सरकारें हैं । एक भारत सरकार और दूसरी राज्य सरकार जैसे-महाराष्ट्र सरकार, कर्नाटक सरकार आदि ।

महाराष्ट्र पुलिस-बोध चिह्न

भारतीय रेल-बोध चिह्न

महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल-बोध चिह्न

कर न्याय करता है । यह कार्य निष्पक्षता के साथ होना आवश्यक होता है ।

न्यायालय को किसी भी प्रकार के दबाव में आकर अपना कार्य न करना पड़े; इसलिए न्यायपालिका को अधिकाधिक स्वतंत्र रखने की दृष्टि से संविधान द्वारा अनेक प्रावधान किए गए हैं । जैसे-न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ सरकार द्वारा न होकर राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं । न्यायाधीशों को सरलता से उनके पदों से हटाया नहीं जा सकता।

इकहरा नागरिकत्व : भारतीय संविधान द्वारा भारत के सभी नागरिकों को एक ही नागरिकत्व प्रदान किया गया है । वह है-'भारतीय' नागरिकत्व ।

संविधान में संशोधन करने की पद्धति : संविधान में उल्लिखित प्रावधानों में परिस्थिति के अनुसार संशोधन अथवा परिवर्तन करना पड़ता है परंतु संविधान में बार-बार संशोधन अथवा परिवर्तन करने से अस्थिरता अथवा अराजकता निर्माण हो सकती है । अत : किसी भी प्रकार का संशोधन करते समय उसपर समग्र विचार किया जाना चाहिए । इसके लिए भारतीय संविधान में ही संविधान संशोधन की संपूर्ण प्रक्रिया स्पष्ट की गई है । संविधान में किसी भी प्रकार का किया जानेवाला संशोधन इसी

प्रक्रिया द्‌वारा करना आवश्यक होता है । संविधान में संशोधन करने की यह प्रक्रिया बड़ी वैशिष्ट्यपूर्ण है। यह प्रक्रिया बहुत जटिल भी नहीं है और बहुत सरल भी नहीं है । किए जानेवाले महत्वपूर्ण संशोधन पर विचार-विनिमय करने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया है तो सामान्य संशोधन बड़ी सहजता-सरलता से किया जाएगा; इतना लचीलापन भी इस प्रक्रिया में है।

ढूँढ़ो

अब तक भारतीय संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया है ?

निर्वाचन आयोग : निर्वाचन आयोग के बारे में तुम समाचारपत्र में हमेशा पढ़ते होगे । हमारे देश ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को स्वीकार किया है। फलस्वरूप निश्चित अवधि के बाद जनता को अपने प्रतिनिधि पुनः नए-से चुनकर देने होते हैं । इसके लिए चुनाव करवाने पड़ते हैं । ये चुनाव खुले और निष्पक्ष वातावरण में होना आवश्यक होता है । तभी नागरिक बिना किसी भी दबाव के योग्य और सही

बताओ तो

वर्तमान प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कौन हैं ?
चुनावी आचार संहिता किसे कहते हैं ?
निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं ?

प्रत्याशी को चुनकर भेज सकते हैं । यदि सरकार चुनाव का आयोजन करती है तो खुले और निष्पक्ष वातावरण में चुनाव होंगे ही; ऐसा विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता । इसलिए हमारे संविधान ने चुनाव संपन्न कराने का दायित्व एक स्वतंत्र संस्थान को सौंपा है । वह संस्थान अर्थात 'निर्वाचन आयोग' है । भारत में सभी महत्वपूर्ण चुनाव संपन्न कराने का दायित्व निर्वाचन आयोग पर है ।

भारतीय संविधान की अनेक विशेषताएँ हैं । इस पाठ में हमने उनमें से कतिपय महत्वपूर्ण विशेषताओं का ही अध्ययन किया है । मौलिक अधिकारों के विषय में विस्तृत प्रावधानों का होना हमारे संविधान की और एक महत्वपूर्ण विशेषता है। उसका अध्ययन हम अगले पाठ में करेंगे ।

स्वाध्याय

१. संघराज्य शासन प्रणाली के अनुसार अधिकारों का विभाजन किस प्रकार किया गया है; इसकी सूची निम्न तालिका में बनाओ ।

संघ सरकार	राज्य सरकार	वे विषय जो दोनों सरकारों के पास हैं।
(१) ____	(१) ____	(१) ____
(२) ____	(२) ____	(२) ____
(३) ____	(३) ____	(३) ____

२. उचित शब्द लिखो :

(१) संपूर्ण देश का शासन चलाने वाली व्यवस्था-
(२) वह व्यवस्था जो चुनाव संपन्न कराती है-
(३) दोनों सूचियों को छोड़कर शेष सूची-

३. लेखन करो :

(१) संघ राज्य में दो स्तरों पर शासन संस्थाएँ होती हैं ।
(२) अवशिष्ट शक्तियाँ किसे कहते हैं ?
(३) संविधान द्‌वारा न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है ।

४. 'स्वतंत्र न्यायपालिका के लाभ और हानि' इस विषय पर कक्षा में सामूहिक विचार-विमर्श का आयोजन करो।

५. इलेक्ट्रोनिक मतदान यंत्र (EVM) का उपयोग करने से कौन-से लाभ प्राप्त होते हैं; इसकी जानकारी प्राप्त करो ।

उपक्रम

कक्षा में निर्वाचन आयोग का गठन करो । उस निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन में कक्षा के चुनाव संपन्न कराओ ।

४. मौलिक अधिकार भाग–१

चलो, ढूँढ़ें

* तुम्हें बालकों के अधिकार मालूम होंगे । क्या उनमें से तुम दो महत्वपूर्ण अधिकार बता सकोगे ?
* महिलाओं के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार जैसी अवधारणाएँ तुम्हें मालूम ही हैं । इन अधिकारों के संबंध में हम सभी के सम्मुख कुछ प्रश्न उपस्थित हो गए हैं ।
* अधिकारों का उपयोग क्या होता है ? वे अधिकार हमें कौन प्रदान करता है ?
* क्या अधिकारों से हमें वंचित किया जा सकता है ?
* यदि ऐसा होता है तो इसके विरुद्ध कहाँ न्याय माँगा जा सकता है ?

ऊपर बताई गईं जैसी दफ्तियाँ अथवा तख्तियाँ तुमने समाचारपत्र या फिर अन्य दूसरे स्थानों पर देखी होंगी । किसी जुलूस अथवा रैली में किसी बात की माँग की जाती है और वह उनका अधिकार बताया जाता है ।

हमें जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं । प्रत्येक जन्मजात बालक को जीने का अधिकार प्राप्त रहता है । उसे उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त हो; इसके लिए संपूर्ण समाज और सरकार प्रयास करते हैं । यदि सभी लोगों को अन्याय, शोषण, भेदभाव, वंचितता से संरक्षण प्राप्त हुआ; तभी प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में छिपे गुणों और कौशलों का विकास कर सकेगा । स्वयं के और संपूर्ण लोकसमूह के विकास के लिए पोषक तथा अनुकूल परिस्थिति उपलब्ध कराने की माँग करना, उसके प्रति आग्रह करना ही अधिकारों की माँग करना है ।

ऐसा पोषक वातावरण निर्माण करने के लिए संविधान द्वारा भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं । वे मौलिक अधिकार हैं । वे अधिकार संविधान में उल्लिखित हैं । अतः उन्हें कानून का दर्जा प्राप्त है । इन अधिकारों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है ।

कल्पना करो और लिखो

कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी जैसे पशुओं को तुम पालते होगे । तुम उनकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल करते हो । उनसे बहुत स्नेह करते हो।

यदि ये पशु बोल पाते तो उन्होंने तुमसे कौन-से अधिकार माँगे होते ?

संविधान में उल्लिखित हमारे अधिकार : संविधान में भारतीय नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख मिलता है । देखेंगे कि वे अधिकार कौन-से हैं ।

समता का अधिकार : समता का अधिकार के अनुसार देश भारतीय नागरिकों में ऊँच-नीच, छोटा-बड़ा, स्त्री-पुरुष जैसा भेदभाव करके किसी के भी साथ अलग आचरण नहीं कर सकता । कानून सभी के लिए एक समान है । कई कानून ऐसे होते हैं; जो हमें संरक्षण प्रदान करते हैं । जैसे- बिना पूछ-ताछ किए गिरफ्तार करने जैसी कृति से हमें संरक्षण प्राप्त है । इस प्रकार का संरक्षण प्रदान करते समय भी सरकार भेदभाव नहीं कर सकती ।

चलो, चर्चा करें

सभी को कानून के समक्ष समान मानने और सभी को कानून का समान संरक्षण देने के क्या लाभ हैं ?

समता का अधिकार के अंतर्गत किन बातों का समावेश होता है? सरकारी नौकरी में रखते समय सरकार जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती । हमारे देश में छुआछूत का पालन करने वाली अमानवीय प्रथा को कानून द्वारा समाप्त किया गया है । छुआछूत को मानना और उसका पालन करना संज्ञेय अपराध माना गया है।

भारतीय समाज में समता निर्माण करने हेतु इस प्रथा का उन्मूलन किया गया है । जिन उपाधियों और पदवियों द्वारा लोगों में ऊँच-नीच अथवा छोटा-बड़ा का भेद दर्शाया जाता है; ऐसी उपाधियों और पदवियों पर संविधान द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है । जैसे राजा, महाराजा, रायबहादुर आदि ।

क्या तुम जानते हो ?

वे उपाधियाँ और पदवियाँ देश नहीं दे सकता जो विषमता को बढ़ाती हैं; समाज में फूट पैदा करती हैं और नागरिकों में भेद उत्पन्न करती हैं परंतु समाज के विभिन्न क्षेत्रों में गौरवपूर्ण कार्य करनेवाले महानुभावों को सरकार पद्मश्री, पद्मभूषण और पद्मविभूषण जैसी उपाधियाँ प्रदान करती है ।

भारतरत्न उपाधि हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ।

सेना में वीरता प्रदर्शित करने वाले कार्यों के लिए परमवीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र जैसे सम्मान पदक दिए जाते हैं ।

इन पदकों से सम्मानित किए जाने पर उन व्यक्तियों को किसी भी प्रकार के विशिष्ट अधिकार अथवा विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । ऐसे पदक प्रदान कर उनके विशिष्ट पराक्रम को गौरवान्वित किया जाता है ।

स्वतंत्रता का अधिकार : संविधान द्वारा प्रदत्त यह एक महत्वपूर्ण अधिकार है । इस अधिकार द्वारा व्यक्ति/नागरिक की दृष्टि से आवश्यक सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं की गारंटी दी गई है ।

नागरिक के रूप में हमें-

- भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है।
- बिना हथियारों के शांतिपूर्वक एकत्रित होकर जनसभा का आयोजन कर सकता है ।
- कोई संस्था अथवा संगठन बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है ।
- भारत के किसी भी प्रदेश में भ्रमण करने की स्वतंत्रता प्राप्त है ।
- भारत के किसी भी भाग में रहने/बसने की स्वतंत्रता प्राप्त है ।
- अपनी पसंद का व्यापार अथवा उद्योग करने की स्वतंत्रता प्राप्त है ।

करके देखो

यहाँ 'अ' 'ब' और 'क' द्वारा की गई कृतियाँ दी गई हैं । तुम इन कृतियों को ऊपर उल्लिखित किस स्वतंत्रता के साथ जोड़ोगे ?

'अ' ने आदिवासियों की समस्याओं को हल करने के लिए 'आदिवासी सहयोग मंच' का गठन किया । 'ब' ने अपने पिता जी का बेकरी उत्पादन का व्यवसाय गोआ से महाराष्ट्र में ले आने का निर्णय किया ।

'क' व्यक्ति को सरकार की नई कर संरचना की नीतियों में दोष अनुभव हुए । इस संदर्भ में उस व्यक्ति ने एक लेख लिखकर प्रकाशित करवाने हेतु समाचारपत्र को भिजवाया ।

क्या तुम जानते हो ?

संविधान द्‌वारा हमें अनेक अधिकार प्रदान किए गए हैं परंतु हम उनका लापरवाही अथवा दायित्वहीनता के साथ उपयोग नहीं कर सकते । हमारे ऐसे व्यवहार के कारण दूसरों की हानि नहीं होगी; इसका हमें बोध रहना चाहिए । हमें अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त है परंतु उकसाने अथवा भड़काने वाला लेखन कार्य अथवा भाषण हम नहीं कर सकते ।

संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता के अधिकार द्‌वारा हमें न केवल घूमने-फिरने अथवा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त हुई है अपितु हम सुरक्षित रह सकें; इस हेतु हमारे लिए संरक्षण उपलब्ध करवा दिया है । कानून का संरक्षण सभी को समान रूप से प्राप्त है । उससे किसी को भी वंचित नहीं रखा जा सकता । जैसे- हम सभी को जीने का अधिकार है । ऊपरी तौर पर यह अधिकार सीधा-सादा अनुभव होता है परंतु उसमें गहन अर्थ छुपा हुआ है । इसका अर्थ जीने की गारंटी और जीने के लिए पोषक/अनुकूल परिस्थिति का होना है । किसी भी व्यक्ति का जीवन कोई भी छीन नहीं सकता । बिना किसी कारण/प्रमाण के किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाकर कारागार में रख नहीं सकते ।

स्वतंत्रता के अधिकार में अब शिक्षा के अधिकार का भी समावेश किया गया है । ६ से १४ वर्ष आयु वर्ग के सभी लड़के-लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है । इस अधिकार के कारण अब शिक्षा से कोई भी वंचित नहीं रहेगा ।

विचार करो

जीवन छीन लेने के अधिकार के लिए अन्य दूसरे कुछ पूरक अधिकार हैं । जैसे-एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जा सकता । किसी भी व्यक्ति को दंडित करने से पूर्व उसपर लगाए गए अभियोग सिद्‌ध किए जाने चाहिए । यह काम न्यायालय करता है । अभियोग सिद्‌ध करने वाले प्रमाणों-सबूतों को इकट्‌ठा करना और न्यायालय में मुकदमा दायर करना पुलिस का काम होता है । 'मैंने अपराध किया है;' ऐसा कहने वाले व्यक्ति को भी आनन-फानन दंडित नहीं किया जा सकता । उस व्यक्ति का अपराध भी कानून के आधार पर सिद्‌ध होना आवश्यक होता है । न्यायालय की इस पूरी प्रक्रिया में समय लगता है परंतु यह इसलिए आवश्यक है कि किसी भी अबोध अथवा निरपराध व्यक्ति को दंड भोगना न पड़े ।

शोषण के विरुद्‌ध अधिकार : शोषण की रोकथाम करने के लिए शोषण का शिकार न होने देने, अपना शोषण अथवा दमन न होने देने के अधिकार को शोषण के विरुद्‌ध का अधिकार कहते हैं ।

एक ओर संविधान ने शोषण के विरुद्‌ध का अधिकार प्रदान कर शोषण और दमन के सभी प्रकारों पर प्रतिबंध लगाया है; वहीं दूसरी ओर बालकों के होने वाले शोषण की रोकथाम करने हेतु विशेष प्रावधान भी किया है । इस प्रावधान के अनुसार १४ वर्ष से कम आयुवाले बालकों को खतरनाक और असुरक्षित स्थानों पर काम पर रखने पर प्रतिबंध लगाया गया है । कारखानों, खदानों जैसे स्थानों पर बालकों की नियुक्ति कर उनसे काम करवाया नहीं जा सकता ।

किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा न होने पर भी बेगार अथवा सख्ती/कड़ाई से काम करवा लेना, कुछ व्यक्तियों के साथ बंधुआ मजदूर अथवा दास की तरह व्यवहार करना, उन्हें काम का पारिश्रमिक न देना, उनसे कड़ा परिश्रम करवाना, उन्हें भूखों रखना अथवा उनपर अन्याय-अत्याचार करना शोषण के विभिन्न प्रकार हैं । शोषण प्राय: महिलाओं, बालकों, समाज के दुर्बल वर्गों और सत्ताहीन लोगों का होता है । शोषण किसी भी प्रकार का हो; ऐसे शोषण के विरुद्ध खड़े होने का यह अधिकार है ।

चलो, चर्चा करें

- यहाँ बाल मजदूर काम नहीं करते ।
- यहाँ मजदूरों को प्रतिदिन वेतन दिया जाता है ।

तुम अनेक दूकानों और होटलों में ऐसी तख्तियाँ अथवा पाटियाँ देखते हो । उन तख्तियों और संविधान में उल्लिखित अधिकारों के बीच भला क्या संबंध हो सकता है ?

चलो, चर्चा करें

किसी भी व्यक्ति का शोषण न हो तथा वह अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर सके; इसके लिए सरकार ने अनेक कानून बनाए हैं । यहाँ कुछ कानूनों का उल्लेख किया गया है । ऐसे अन्य दूसरे कौन-से कानून हैं; वे ढूँढ़ो और उनपर विचार-विमर्श करो ।

- न्यूनतम वेतन अधिनियम : कारखाने में काम के घंटे, विश्राम का समय आदि के संबंध में अधिनियम ।
- महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने वाला कानून - ....

इस पाठ में हमने भारतीय संविधान में उल्लिखित समता, स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध के अधिकारों का अध्ययन किया । अगले पाठ में हम कुछ और मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे ।

स्वाध्याय

१. निम्न प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखो :

(१) मौलिक अधिकार किसे कहते हैं ?

(२) विभिन्न क्षेत्रों में गौरवपूर्ण कार्य करनेवाले व्यक्तियों को सरकार की ओर से कौन-कौन-से पदक/उपाधियाँ दी जाती हैं ?

(३) चौदह वर्ष से कम आयुवाले बालकों को खतरनाक अथवा असुरक्षित स्थानों पर काम पर रखने पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है ?

(४) संविधान द्वारा भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार क्यों प्रदान किए गए हैं ?

२. 'स्वतंत्रता का अधिकार' विषय पर चित्र पट्टिका तैयार करो ।

३. निम्न वाक्यों में सुधार कर पुनः लिखो :

(१) किसी भी व्यक्ति को जन्मत: अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं ।

(२) सरकारी नौकरियों पर रखते समय सरकार धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव कर तुम्हें नौकरी से वंचित रख सकती है ।

४. निम्न संकल्पना चित्र पूर्ण करो :

स्वतंत्रता का अधिकार

अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता	☐	☐	घूमने-फिरने की स्वतंत्रता	☐	व्यवसाय करने की स्वतंत्रता

उपक्रम

(१) समाचारपत्र में छपने वाले 'जानकारी का अधिकार', 'शिक्षा का अधिकार' जैसे कुछ महत्त्वपूर्ण अधिकारों का संग्रह करो ।

(२) तुम्हारे परिसर में किसी इमारत का निर्माण कार्य चल रहा है और यदि वहाँ छोटे बालक मजदूरी करते पाए गए तो उनसे और उनके माता-पिता से विचार-विमर्श करके उनकी समस्याओं को कक्षा में प्रस्तुत करो।

५. मौलिक अधिकार भाग-२

पिछले पाठ में हमने भारतीय संविधान द्वारा दिए गए कुछ मौलिक अधिकारों का अध्ययन किया है । हमने स्वतंत्रता, समता के साथ-साथ शोषण के विरुद्ध के अधिकार का अध्ययन किया । इस पाठ में हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार की जानकारी प्राप्त करेंगे । साथ ही मौलिक अधिकारों को प्राप्त न्यायालयीन संरक्षण की भी हमें जानकारी लेनी है।

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार : हम जानते हैं कि भारत पूरे विश्व में अग्रणी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। पिछली कक्षाओं में भी हमने इसका अध्ययन किया है परंतु इस विषय में संविधान में क्या लिखा हुआ है; इसे समझ लेने की उत्सुकता तुममें होगी ना ? तो इसका उल्लेख स्वतंत्रता का अधिकार में प्राप्त है । इसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म की उपासना करने और धार्मिक उद्देश्यों के लिए संस्था स्थापित करने के अधिकार प्राप्त हैं ।

धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को अधिक व्यापक बनाने के लिए संविधान द्वारा धार्मिक विषय में दो बातों को अनुमति नहीं दी गई है । (१) जिस कर का उपयोग विशिष्ट धर्म को प्रोत्साहन अथवा बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा; सरकार ऐसे कर लाद नहीं सकती । संक्षेप में; संविधान ने धार्मिक कर लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है । (२) सरकार से आर्थिक सहायता लेने वाले शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा को अनिवार्य नहीं किया जा सकता ।

सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार : हमारे देश में तीज-त्योहार, पर्व, भोजन और जीवन प्रणाली को लेकर बहुत विविधता पाई जाती है; यह हम देखते हैं । तुमने विवाह समारोह में देखा ही होगा तो तुम्हें विभिन्न विवाहों में पाया जानेवाला अंतर अनुभव हुआ ही होगा । ये सभी अलग-अलग बातें अथवा भिन्नताएँ अलग-अलग लोकसमूह की संस्कृति का हिस्सा होती हैं । हमारे संविधान ने विभिन्न लोकसमूहों, उनकी सांस्कृतिक विशिष्टता का संवर्धन और संरक्षण करने का अधिकार प्रदान किया है । इसके अनुसार अपनी भाषा, लिपि, साहित्य का संवर्धन तो कर ही सकते हैं लेकिन इसके साथ-साथ उनके संवर्धन हेतु प्रयास भी किए जा सकते हैं । भाषा का विकास करने के लिए संस्थाओं का गठन भी किया जा सकता है ।

ढूँढ़ो और चर्चा करो

- संविधान ने कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की है ?
- हिंदी भाषा के संवर्धन हेतु सरकार ने किन संस्थानों का गठन किया है ?
- मराठी भाषा के संवर्धन हेतु महाराष्ट्र सरकार ने किन संस्थानों का गठन किया है ?

चलो, चर्चा करें

महाराष्ट्र सरकार और न्यायालय का सभी कामकाज मराठी में किया जाना चाहिए; ऐसा तुम्हें लगता है क्या ? इसके लिए क्या करना होगा ?

संवैधानिक उपचारों का अधिकार : अधिकारों का हनन होने पर न्यायालय में याचना करने का अधिकार भी एक प्रकार से मौलिक अधिकार है । इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं । इसका अर्थ यह है कि यदि आपके अधिकारों का हनन होता है तो इसके विरुद्ध न्यायालय में न्याय माँगने के विषय में संविधान द्वारा ही प्रावधान किया गया है । इसके अनुसार अधिकारों की रक्षा करना न्यायालय पर भी बंधनकारक है ।

संविधान द्वारा दिए अधिकारों पर कई बार अतिक्रमण हो सकता है और हम अपने अधिकारों का

अधिकार हनन के अन्य प्रकार

- उचित कारण के अभाव में किसी व्यक्ति को बंदी बनाना ।
- उचित कारण के अभाव में किसी व्यक्ति को गाँव/शहर छोड़कर जाने के लिए मना करना ।
- कारागार के बंदियों/कैदियों को भोजन तथा औषधि से वंचित रखना ।

उपयोग कर नहीं पाते । इसी को हम हमारे अधिकारों का हनन हुआ; ऐसा कहते हैं । अधिकारों के हनन से संबंधित हमारी शिकायत पर न्यायालय विचार करता है । उसकी जाँच-पड़ताल करता है। यदि सचमुच अधिकार का हनन हुआ है अथवा संबंधित व्यक्ति पर अन्याय हुआ है; ऐसा न्यायालय को अनुभव होने पर न्यायालय उचित न्याय करता है ।

अधिकार हनन निवारण हेतु न्यायालय के आदेश : नागरिकों को दिए अधिकारों की रक्षा करने हेतु न्यायालय को विविध आदेश देने का अधिकार प्रदान किया गया ।

(१) बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) : अवैध अथवा गैरकानूनी ढंग से बंदी बनाने और स्थानबद्ध करने से किसी भी व्यक्ति की रक्षा करना ।

(२) परमादेश (Mandanus) : लोगों के हित में कोई कार्य करने के लिए सरकार को दिया जाने वाला न्यायालयीन आदेश।

सरकारी अधिकारी का यह व्यवहार उचित है अथवा अनुचित ?

निराधारों के लिए बनाई गई एक योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए एक महिला ने सभी आवश्यक कागज (दस्तावेज) अधिकारी को दिए । उस समय अधिकारी ने यह कहकर, 'तुम निराधार (बेसहारा) नहीं लगती।' उस महिला को लाभ प्रदान करने से नकार दिया । अधिकारी का यह व्यवहार उचित है अथवा अनुचित ?

क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि उपरोक्त घटना में महिला के अधिकार का हनन हुआ है? यदि उस महिला को न्याय माँगना है तो उसे कहाँ जाना चाहिए ?

न्यायालय का कामकाज

(३) निषेधात्मक आदेश (Prohibition) : निचले अथवा कनिष्ठ न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन न करने देने का आदेश देना ।

(४) स्पष्टीकरण माँगने का अधिकार (Quo Warranto) : किस अधिकार के अंतर्गत यह कार्यवाही की गई है; इस प्रकार का स्पष्टीकरण सरकारी अधिकारी से माँगने का न्यायालयीन आदेश ।

(५) उत्प्रेक्षण (Certiorari) : निचले अथवा कनिष्ठ न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को निरस्त कर ऊपर के न्यायालय में मुकदमा दायर करने हेतु आदेश देना ।

इस तरह मौलिक अधिकारों को न्यायालयीन संरक्षण प्राप्त रहने से नागरिक अपने अधिकारों का उपयोग उचित पद्धति से कर सकते हैं । वे अधिक सजग, उत्तरदायी और सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभा सकते हैं । मौलिक अधिकारों का विचार करते समय हमें अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखना चाहिए । इसका अध्ययन हम अगले पाठ में करेंगे ।

स्वाध्याय

१. लेखन करो :

(१) धार्मिक कर लगाने पर संविधान प्रतिबंध लगाता है ।

(२) संवैधानिक उपचारों का अधिकार का क्या अर्थ है ?

२. उचित शब्द लिखो :

(१) अवैध अथवा गैरकानूनी ढंग से बंदी बनाने तथा स्थानबद्ध करने से प्राप्त संरक्षण –

(२) किस अधिकार के अंतर्गत यह कार्यवाही की है, इस प्रकार का सरकारी अधिकारी से स्पष्टीकरण माँगनेवाला न्यायालयीन आदेश –

(३) लोकहित में कोई कार्य करने हेतु सरकार को दिया जानेवाला न्यायालय का आदेश

(४) निचला अथवा कनिष्ठ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन न करे; इस विषय में दिया जानेवाला आदेश –

३. हम यह कर सकते हैं; इसका कारण आगे स्पष्ट करो :

(१) सभी भारतीय नागरिक सभी पर्व-उत्सव हर्षोल्लास के साथ मना सकते हैं । क्योंकि ...

(२) मैं हिंदी भाषा में पढ़ाई कर सकता हूँ । क्योंकि...

४. रिक्त स्थान में भला कौन-सा शब्द लिखना चाहिए :

(१) अधिकार हनन के संबंध में हमारी शिकायत पर .... विचार करता है ।

(२) सरकार से आर्थिक सहायता लेनेवाले विद्यालयों में .... शिक्षा अनिवार्य नहीं की जा सकती ।

उपक्रम

तुम अपने विद्यालय में न्यायाधीश, वकील, पुलिस अधिकारी के साक्षात्कार का आयोजन करो ।

६. नीति निदेशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य

पिछले पाठ में हमने भारतीय संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का अध्ययन किया । पाठ द्वारा हमें यह बोध हुआ कि भारतीय नागरिकों को कौन-कौन-से अधिकार प्राप्त हैं । यही नहीं अपितु हमने यह भी समझा कि इन अधिकारों को न्यायालयीन संरक्षण भी प्राप्त है । मौलिक अधिकारों का हमारे व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जीवन में निहित महत्त्व भी ध्यान में आया । इस पृष्ठभूमि में हम नीति निदेशक सिद्धांत किसे कहते हैं; इसे समझेंगे ।

मौलिक अधिकार सरकार के अधिकारों पर बंधन लगाते हैं । निम्न सूची पढ़ो तो ध्यान में आएगा कि सरकार पर कौन-से बंधन लगे होते हैं । जैसे-

- सरकार नागरिकों में जाति, धर्म, वंश, भाषा तथा लिंग के आधार पर भेदभाव न करे ।
- सभी कानून के समक्ष समान हैं तथा सभी को कानून का समान रूप से संरक्षण प्राप्त है; इससे किसी को भी वंचित न रखे ।
- किसी भी व्यक्ति के प्राण छीन न लें ।
- धार्मिक कर लागू न करे ।

सरकार क्या करे; इस विषय में संविधान में कुछ निदेशों का उल्लेख प्राप्त है । इन निदेशों का उद्देश्य यह है कि संविधान की उद्देशिका में जो उद्देश्य स्पष्ट किए गए है; उन्हें प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शन मिले । अतः इन निदेशों को 'नीति निदेशक सिद्धांत' कहते हैं ।

नीति निदेशक सिद्धांतों का समावेश क्यों किया गया ?

देश स्वतंत्र हुआ; उस समय हमारे सामने सब से बड़ी चुनौती देश में कानून एवं व्यवस्था निर्माण करने और सुचारु रूप से प्रशासन चलाने की थी । दरिद्रता, पिछड़ापन, निरक्षरता को दूर कर देश की शासन व्यवस्था को पटरी पर लाना था । राष्ट्र निर्माण एवं विकास का कार्य करना था । इसके लिए नव-नवीन नीतियाँ तय करना और उनका कार्यान्वयन करना आवश्यक था । लोककल्याण के उद्देश्य को साध्य करना था । संक्षेप में, भारत का रूपांतर एक नए विकसित और उन्नत देश में करना था । इसके लिए संघ सरकार और राज्य सरकार को किन विषयों को प्राथमिकता देनी चाहिए, लोककल्याण हेतु कौन-सी उपाय योजनाएँ करनी चाहिए; यह संविधान में नीति निदेशक सिद्धांतों द्वारा स्पष्ट किया गया है । इन सिद्धांतों को राज्यों की नीतियों का आधार बनाया। प्रत्येक नीति निदेशक सिद्धांत में राज्य की नीति निर्धारण हेतु एक विषय निहित है । उस विषय के आनुषंगिक रूप से राज्य नई नीति निश्चित करे; यह अपेक्षा संविधान के निर्माणकर्ता ने व्यक्त की है । वे इस तथ्य से परिचित थे कि इन सभी नीतियों का कार्यान्वयन एक साथ और एक ही समय में करना हो तो उसके लिए विपुल धन की आवश्यकता अनुभव होगी । इसीलिए उन्होंने सरकार पर मौलिक अधिकारों के समान नीति निदेशक सिद्धांतों को अनिवार्य नहीं बनाया । सभी राज्य क्रमशः लेकिन निश्चित रूप से उन सिद्धांतों का कार्यान्वयन करें; ऐसी अपेक्षा संविधान निर्माताओं ने व्यक्त की ।

कुछ महत्त्वपूर्ण नीति निदेशक सिद्धांत :

- सरकार सभी को आजीविका का साधन उपलब्ध करा दे । इस बारे में स्त्री और पुरुष का भेदभाव न करे ।
- स्त्री और पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन दे ।
- लोगों के स्वास्थ्य सुधार हेतु उपाय योजना करे।
- पर्यावरण की रक्षा करे ।
- राष्ट्र की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थानों अर्थात स्मारकों, वास्तुओं का संरक्षण करे ।

बताओ तो

वेतन के संदर्भ में 'समान काम के लिए समान वेतन' यह नीति निदेशक सिद्धांत है । इस सिद्धांत द्वारा संविधान के कौन-से उद्देश्य साध्य होंगे; ऐसा तुम्हें लगता है । स्त्री-पुरुष समान काम करते हैं; फिर भी पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को कम वेतन देने की घटनाएँ क्यों पाई जाती हैं ?

करके देखो

उपरोक्त नीति निदेशक सिद्धांतों के अतिरिक्त अन्य नीति निदेशक सिद्धांत यह स्पष्ट करते हैं कि सरकार को लोककल्याण हेतु क्या करना चाहिए। नीचे कुछ विषय दिए गए हैं । इस संदर्भ में कौन-सा नीति निदेशक सिद्धांत है; यह शिक्षक की सहायता से ढूँढ़ो ।

जैसे- विदेश नीति : विश्व शांति और पारस्परिक सौहार्द को प्राथमिकता

(अ) लड़कियों की शिक्षा ......

(ब) स्वस्थ और आनंदमय वातावरण में बच्चों का भरण-पोषण ....

(क) कृषि में सुधार ......

- समाज के दुर्बल वर्गों को विशेष संरक्षण प्रदान करे तथा उनके लिए विकास के अवसर उपलब्ध करा दे ।
- वृद्धावस्था, दिव्यांगत्व, बेरोजगारी से नागरिकों की रक्षा करे ।
- भारत के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून लागू करे ।

नीति निदेशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं । मौलिक अधिकारों के कारण नागरिकों को अत्यावश्यक स्वतंत्रता प्राप्त होती है तो नीति निदेशक सिद्धांत लोकतंत्र दृढ़ होने के लिए पोषक वातावरण का निर्माण करते हैं ।

तुम्हारे विचार में सरकार को विद्‌यार्थियों के लिए और अधिक क्या करना चाहिए ? तुम्हारी माँगें उचित और सही हैं; इसका विश्वास किस प्रकार दिलाओगे ?

तुम्हारी दृष्टि से सरकार द्वारा दी गईं निम्न सुविधाओं के कारण कौन-से सुधार होंगे;

(अ) सार्वजनिक स्वच्छतागृह

(ब) स्वच्छ जलापूर्ति

(क) शिशुओं का टीकाकरण

अर्थात सरकार ने किसी नीति निदेशक सिद्धांत का पालन अथवा कार्यान्वयन नहीं किया तो सरकार के विरुद्ध हम न्यायालय में नहीं जा सकते लेकिन विभिन्न स्रोतों से सरकार पर दबाव लाकर हम नीति निश्चित करने हेतु आग्रही बन सकते हैं ।

मौलिक कर्तव्य

लोकतंत्र में नागरिकों पर दोहरा उत्तरदायित्व होता है । एक ओर उन्हें संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के बारे में जागरूक रहना पड़ता है । अधिकारों का हनन नहीं होगा; इस बारे में सतर्क रहना पड़ता है तो दूसरी ओर कुछ कर्तव्य और उत्तरदायित्व भी पूर्ण करने पड़ते हैं । सभी भारतीयों की उन्नति एवं कल्याण साध्य होने हेतु संविधान ने मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक सिद्धांतों द्वारा अनेक प्रावधान किए हैं परंतु जब तक नागरिक अपने मौलिक कर्तव्य पूर्ण नहीं करते; तब तक सरकार द्वारा किए जाने वाले सुधारों का लाभ सभी को नहीं मिलता । जैसे-'स्वच्छ भारत' अभियान के अंतर्गत सरकार द्वारा स्वच्छता से संबंधित अनेक उपक्रम चलाए गए परंतु सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की अस्वच्छता और गंदगी निर्माण करने की आदतें बदलनी चाहिए । भारतीय नागरिकों को अपने दायित्वों का बोध हो; इसके लिए संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है । भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य इस प्रकार हैं :

- प्रत्येक नागरिक संविधान का पालन करे।

संविधान में उल्लिखित आदर्शों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगीत का सम्मान करे ।

- स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरणा प्रदान करने वाले आदर्शों का पालन करे ।
- देश की संप्रभुता, एकता और अखंडितता को संरक्षित रखने हेतु प्रयत्नशील रहे ।
- अपने देश की रक्षा करे । देश की सेवा करे ।
- सभी प्रकार के भेदभावों को भुलाकर एकात्मता में वृद्धि करे और बंधुता की भावना को वृद्धिंगत करे। उन प्रथाओं का त्याग करे जिनके कारण नारी की प्रतिष्ठा कम होती है ।
- हमारी मिली-जुली सांस्कृतिक विरासत का निर्वाह करे ।
- प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे । समस्त सजीवों के प्रति दयाभाव रखे ।
- वैज्ञानिक दृष्टि, मानवतावाद और जिज्ञासावृत्ति को अंगीकृत करे ।
- सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे । हिंसा का त्याग करे।
- देश की उत्तरोत्तर उन्नति होने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यों में श्रेष्ठत्व पाने का प्रयास करे।
- ६ ते १४ वर्ष आयुवर्ग के अपने बच्चों को उनके अभिभावक शिक्षा के अवसर उपलब्ध करा दें ।

सूची बनाओ

- घर में तुम किन अधिकारों की माँग करते हो और कौन-से कर्तव्य पूर्ण करते हो ?
- विद्यालय में तुम कौन-कौन-से दायित्व पूर्ण करते हो ? वहाँ का कौन-सा दायित्व पूर्ण करना तुम्हें अच्छा नहीं लगता ?

स्मारक/वास्तु पर नाम उकेरता लड़का

टंगे हुए नीबू-मिर्च

बस की तोड़फोड़

सड़क पर कूड़ा-कचरा फेंकती महिला

तुम्हारे विचारानुसार इन चित्रों में किन कर्तव्यों का पालन नहीं हो रहा है ?

उपर्युक्त संवादों द्‌वारा हमें किन-किन कर्तव्यों का बोध होता है ? क्या अधिकारों और कर्तव्यों के बीच कोई संबंध होता है ? तुम्हारे विचार में कर्तव्यों का पालन करने से क्या होता है ।

तुम्हें क्या लगता है ?

६ से १४ वर्ष आयुवर्ग के लड़के-लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्राप्त है । इस आयुवर्ग के सभी लड़के-लड़कियों को विद्‌यालय में प्रवेश लेना आवश्यक है । फिर भी अनेक कारणों से लड़के -लड़कियाँ विद्‌यालय में जा नहीं पाते । उन्हें अपने माता-पिता की आर्थिक सहायता करने के लिए काम करना पड़ता है । ऐसे लड़के-लड़कियों को विद्‌यालय में ले आने का आग्रह करना उनपर अन्याय होगा; ऐसा तुम्हें लगता है क्या ?

इस पाठ्‌यपुस्तक के प्रारंभिक पाठों में हमारा भारतीय संविधान के उद्‌देश्यों और विशेषताओं से परिचय हुआ । भारतीय नागरिकों के अधिकार, उन अधिकारों को प्राप्त संरक्षण का भी हमने विचार किया। हमारे मौलिक कर्तव्य कौन-से हैं; इसे भी हमने समझा । अगले वर्ष हम हमारे देश का शासन कैसे चलाया जाता है; इसका अध्ययन करेंगे ।

स्वाध्याय

१. सरकार पर कौन-से बंधन होते हैं; इसकी निम्न चौखट में तालिका बनाओ ।

- ____________________
- ____________________
- ____________________

२. निम्न कथनों को पढ़ो और 'जी हाँ'/'जी नहीं' में उत्तर लिखो :

(१) समाचारपत्र में दिए गए नौकरी के विज्ञापन में महिला और पुरुष के लिए पद होते हैं ......

(२) एक ही कारखाने में एक ही प्रकार का काम करनेवाले स्त्री-पुरुष को अलग-अलग वेतन मिलता है ...

(३) स्वास्थ्य सुधार योजना के अंतर्गत सरकार द्‌वारा विभिन्न योजनाएँ चलाई जाती हैं ......

(४) राष्ट्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्मारकों वास्तुओं का संरक्षण करना चाहिए .....

३. क्यों, यह बताओ :

(१) ऐतिहासिक वास्तुओं, भवनों, स्मारकों का संरक्षण करना ।

(२) वृद्‌धों के लिए पेन्शन योजना चलाई जाती है ।

(३) ६ से १४ आयुवर्ग के बालकों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराया गया है ।

४. उचित अथवा अनुचित; यह बताओ । अनुचित कथन को सुधारो ।

(१) राष्ट्रध्वज को जमीन पर गिरने न देना ।

(२) राष्ट्रगीत जब चल रहा हो; उस समय सावधान की स्थिति में खड़ा रहना ।

(३) हमारे ऐतिहासिक स्मारक/वास्तु पर अपना नाम लिखना/उकेरना ।

(४) समान काम के लिए पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को कम वेतन देना ।

(५) सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखना ।

५. लेखन करो :

(१) संविधान के कुछ नीति निदेशक सिद्‌धांत पाठ्‌यपुस्तक में दिए गए हैं; वे कौन-से हैं ?

(२) भारतीय संविधान में उल्लिखित नीति निदेशक सिद्‌धांतों में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून का प्रावधान क्यों किया होगा ?

(३) नीति निदेशक सिद्‌धांत और मौलिक अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं; ऐसा क्यों कहा जाता है ?

६. नागरिक पर्यावरण का संवर्धन और संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं; उदाहरणसहित लिखो ।

उपक्रम

(१) शिक्षा हमारा अधिकार है; लेकिन उस संदर्भ में हमारे कर्तव्य कौन-से हैं; इसपर समूह में विचार-विमर्श करो ।

(२) राष्ट्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण वास्तुओं, स्मारकों का संवर्धन करने हेतु राज्य सरकार उपाय करे; ऐसा नीति निदेशक सिद्‌धांत है । किलों/गढ़ों के संरक्षण हेतु राज्य सरकार ने क्या किया है; वह ढूँढ़ो और सूची बनाओ ।

(३) बालकों के स्वास्थ्य के लिए सरकार कौन-सी योजनाएँ चलाती है; इस विषय में जानकारी प्राप्त करो ।

कालखंड - ८ वीं शताब्दी से १९ वीं शताब्दी
प्रमुख घटनाओं का अवलोकन

घटनाक्रम को नीचे से ऊपर की ओर पढ़ते जाएँ ।

शताब्दी	प्रमुख घटनाएँ
८ वीं शताब्दी	मुहम्मद बिन कासिम का सिंध पर आक्रमण; राजपूत, गहड़वाल, परमार वंश; गुर्जर-प्रतिहार सत्ता; पाल वंश; राष्ट्रकूट वंश पांड्य वंश
९ वीं शताब्दी	शिलाहार वंश; चोल वंश
१० वीं शताब्दी	राजा जयपाल-सबक्तगीन संघर्ष
११ वीं शताब्दी	गजनी के महमूद का भारत पर आक्रमण; तुर्कों का भारत पर आक्रमण; होयसळ वंश
१२ वीं शताब्दी	मुहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण और पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल समाप्त; यादव वंश
१३ वीं शताब्दी	वारकरी पंथ; महानुभाव पंथ; खिलजी वंश का शासनकाल; बलबन, रजिया सुल्तान, अल्तमश का शासनकाल, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सुल्तान
१४ वीं शताब्दी	बहमनी राज्य की स्थापना; विजयनगर राज्य की स्थापना; दिल्ली पर तुगलक सत्ता दिल्ली से देवगिरि को राजधानी का स्थलांतर और पुनः दिल्ली को । तैमूरलंग का भारत पर आक्रमण
१५ वीं शताब्दी	आदिलशाही, निजामशाही, कुतुबशाही, बरीदशाही, इमादशाही का शासनकाल
१६ वीं शताब्दी	सम्राट अकबर का महाराणा प्रताप, चांदबीबी, रानी दुर्गावती के साथ संघर्ष; मुगल शासनकाल प्रारंभ । बाबर, हुमायूँ का कार्यकाल; दिल्ली की सुल्तानशाही का शासनकाल समाप्त
१७ वीं शताब्दी	महारानी ताराबाई का कार्यकाल; छत्रपति राजाराम महाराज; छत्रपति संभाजी महाराज; छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक; स्वराज्य की स्थापना; छत्रपति शिवाजी महाराज का कार्यकाल; महाराष्ट्र में अकाल; मुगल-सिख संघर्ष; औरंगजेब; शाहजहाँ; जहाँगीर
१८ वीं शताब्दी	बाजीराव द्वितीय का कार्यकाल; स्वराज्य से साम्राज्य; सवाई माधवराव; नारायणराव; माधवराव ज्येष्ठ; पानीपत का युद्ध; नानासाहेब पेशवा; मराठों द्वारा पुर्तगालियों की पराजय; बाजीराव प्रथम का कार्यकाल; छत्रपति शाहू महाराज का कार्यकाल
१९ वीं शताब्दी	अंग्रेजों द्वारा मराठों की पराजय

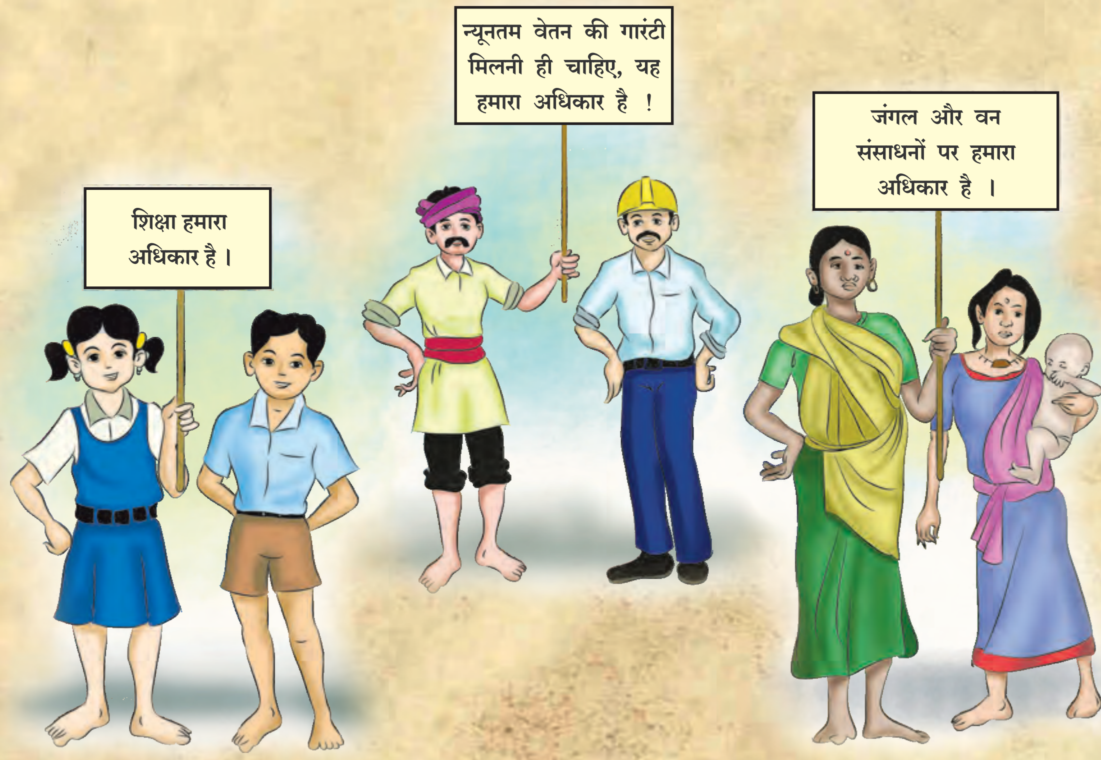

महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.

इतिहास व नागरिकशास्त्र इ. ७ वी (हिंदी माध्यम)

₹ 40.00